खण्ड–24, अंक–02
मंगलवार, 25 अग्रहायण, शक संवत्, 1930
(16 दिसम्बर, 2008 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2008)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 24 में 06 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2010

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	'क'
प्रश्नोत्तर	1–41
पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्गार	41–44
वर्ष 2007–08 की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्ष 2007–08 का सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा)	44–45
जनपद उत्तरकाशी में श्री हरि महाराज–हरौन्ता बुग्याल, नचिकेता ताल, नांगणी ठांग, पर्यटन महायोजना की स्वीकृति के सदर्न्भ में याचिका (उपस्थापित)	45
जनपद उत्तरकाशी में बकरया टॉप पर्यटन क्षेत्र के विकास के सन्दर्भ में याचिका (उपस्थापित)	45
जनपद उत्तरकाशी के बेलख जौराई–कुशकल्याण सहस्त्रताल ट्रैकिंग/ यात्रा मार्ग के निर्माण के सन्दर्भ में याचिका (उपस्थापित) ...	46
जनपद उत्तरकाशी में ग्राम साड़ा बाडागड्डी में इन्द्रावती नदी पर पैदल पुल निर्माण के सन्दर्भ में याचिका (उपस्थापित)	46
जनपद देहरादून के रायपुर ब्लॉक के ग्राम सभा नत्थनपुर के विवेकानन्द ग्राम फेज–2, स्ट्रीट नं0–4 में बिजली के टेढ़े–मेढ़े खम्भों एवं झूलते हुए तारों को ठीक करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	46
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	46
जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के ऊखीमठ विकास खण्ड में ग्राम गैड़, गडगू, वरूवा, मौण्डार रांसी, उनियाणा, राऊलैंक, कुणजेठी, व्यंखी, जालमल्ला, चौमासी, चिलोण्ड, त्रियुगी नारायण, तोषी आदि गाँव की, सेन्चुरी वन अधिनियम के भीतर आने के कारण मूलमूत सुविधाओं की स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	47

विषय	पृष्ठ–संख्या
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त उच्चाकोट पम्पिंग पेयजल योजना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर एवं विकास खण्ड थौलधार के सामूहिक तोक टरू में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	48
माननीय सदस्य के त्याग–पत्र की सूचना	48
श्री भगत सिंह कोश्यारी के राज्य सभा में निर्वाचित होने पर बधाई...	48–50
विधान सभा के द्वितीय सत्र 2007 के प्रथम शुक्रवार, दिनांक 06 जुलाई, 2007 को श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–02 के उत्तर में संसदीय कार्य मंत्री का शोधन वक्तव्य	51–56
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	56
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित)	57–60
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित)	60–62
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित)]	62–65
वित्तीय वर्ष 2008–09 का (अनुपूरक) अनुदानों का प्रस्तुतीकरण ...	65–66
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	66–76
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	76

'क'

<u>उपस्थिति</u>

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अरविन्द पाण्डे
3—श्री अनिल नौटियाल
4—श्रीमती आशा
5—श्री ओम गोपाल
6—सुश्री कैरन मेयर
7—श्री केदार सिंह फोनिया
8—श्री खजान दास
9—श्री खड़क सिंह बोहरा
10—श्री गगन सिंह
11—श्री गणेश जोशी
12—श्री गोपाल सिंह रावत
13—श्री गोविन्द लाल
14—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
15—श्री चन्दन राम दास
16—श्री जोगा राम टम्टा
17—श्री दिवाकर भट्ट
18—श्री दिवान सिंह
19—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
20—श्री प्रकाश पन्त
21—श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
22—श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
23—श्री बिशन सिंह चुफाल
24—श्री बंशीधर भगत
25—श्री बृज मोहन कोटवाल
26—श्री मदन कौशिक
27—श्री मातबर सिंह कण्डारी
28—श्री मुन्ना सिंह चौहान
29—श्री यशपाल बेनाम
30—डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
31—श्री राजकुमार
32—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
33—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
34—श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
35—श्रीमती वीना महराना
36—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
37—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
38—श्री सुरेश चन्द जैन
39—श्री हरभजन सिंह चीमा
40—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य आज यहाँ सदन में उपस्थित नहीं हैं तो मेरा अनुरोध है कि कृपया उनको यहाँ बुलाने का प्रयास करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा और कतिपय सदस्यों से टेलीफोनिक वार्ता हुई है और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं को दृष्टिगत रखते हुए सदन में उपस्थित रहें। मैं अभी पुनः प्रयास करता हूँ कि वे सदन में उपस्थित हों।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*1–श्रीमती अमृता रावत–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

प्रदेश के चिकित्सकों, फार्मासिस्टों, ए0एन0एम0 के पदों का जनपदवार विवरण

*2–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सकों, फार्मासिस्टों तथा ए0एन0एम0 के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का जनपदवार विवरण क्या है ?

तथा इन रिक्तियों को भरने की दशा में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

क्र0 सं0	जनपद	चिकित्सकों के पद			फार्मासिस्टों के पद			ए0एन0एम0 के पद		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	देहरादून	343	314	29	115	114	1	205	205	0
2.	उत्तरकाशी	136	69	67	59	58	1	106	67	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	टिहरी	190	92	98	145	141	4	231	207	24
4.	पौड़ी	302	183	119	198	163	35	281	268	13
5.	चमोली	161	81	80	95	93	2	134	128	6
6.	रूद्रप्रयाग	93	40	53	64	62	2	71	71	0
7.	हरिद्वार	185	120	65	44	43	1	185	174	11
8.	नैनीताल	246	193	53	119	115	4	169	168	01
9.	अल्मोड़ा	240	116	124	150	146	4	241	221	20
10.	ऊधमसिंह नगर	188	98	90	47	46	1	199	193	6
11.	पिथौरागढ़	178	79	99	127	116	11	185	185	0
12.	बागेश्वर	86	39	47	73	70	3	93	93	0
13.	चम्पावत	67	38	29	52	50	2	73	64	9

चिकित्सकों के रिक्त पदों पर 124 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति नियमित चयन के उपरान्त तथा 194 चिकित्सकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गयी है। चिकित्सकों के पद लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत आते हैं। रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है।

फार्मासिस्टों की तैनाती शीघ्र की जा रही है।

ए0एन0एम के 120 पदों पर नियुक्ति की अनुमति दी गयी है, जिसके विरूद्ध अब तक 112 ए0एन0एम0 की नियुक्ति की जा चुकी है।

आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने तक चिकित्सकों की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत संविदा पर चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न के सम्बन्ध में कोई माननीय सदस्य अपनी जिज्ञासा व्यक्त करना चाहते हैं तो रख सकते हैं।

श्री सुरेश चन्द जैन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो रिक्त पद हैं इनको भरने की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी, क्योंकि चिकित्सकों के न होने से जनता के स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, सरकार लगातार इस दिशा में प्रयासरत् है और मैंने पहले भी अनुरोध किया है कि लोक सेवा आयोग को हमारा अधियाचन गया था। 700 में बहुत मुश्किल से

150 लोग चयनित हो सके, फिर दोबारा अधियाचन 830 का गया है जहाँ लोक सेवा आयोग को लगातार हम अनुरोध कर रहे हैं और अधियाचन भेजा जा चुका है। श्रीमन्, अब लोक सेवा आयोग को इसकी कार्यवाही करनी है, लेकिन विकल्प में मैंने कोशिश की है मान्यवर, जब तक लोक सेवा आयोग से हमारे एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर्स चयनित होकर आते हैं, तब तक वैकल्पिक दिशा में जो हमारे प्रदेश में जो एस0ए0डी0 हैं, उनमें हम बी0ए0एम0एस0 डाक्टरों को भरेंगे और माननीय मंत्रिपरिषद ने इसका निर्णय भी ले लिया है और निकट भविष्य में उसकी भी हमारी कार्यवाही गतिमान है।

श्री अध्यक्ष–

अन्य संवर्गों के बारे में आपका क्या कहना है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अध्यक्ष जी, अन्य संवर्गों के बारे में, जो फार्मासिस्टों का था, जिनमें से केवल 71 पद रिक्त हैं और 129 पद ए0एन0एम0 के रिक्त हैं। इन दोनों पदों को भरने की कार्यवाही इस समय चल रही है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जहाँ पर हमें एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक नहीं मिल पा रहे थे, वहाँ पर हमने आयुर्वेदिक चिकित्सकों (बी0ए0एम0एस0) के माध्यम से, उन पदों को तात्कालिक रूप से अस्थाई तौर पर भरने का काम किया है या काम चलाने का काम किया है। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को तैनात किया गया है, क्या आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक प्रैक्टिस करने की इजाजत उन चिकित्सालयों में दी गयी है या नहीं ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, जो एलोपैथिक चिकित्सालय हैं, उसमें जो बी0ए0एम0एस0 के डाक्टर्स हैं, उनको उस एक्ट के तहत दवाई देने का अधिकार नहीं है, लेकिन श्रीमन्, वह एक्ट यह भी इजाजत देता है कि यदि शेड्यूल 'के0' के अन्तर्गत जो जीवनदायिनी बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा है, जो सामान्यतः शेड्यूल 'के0' के अन्तर्गत आता है वह अधिकार हम बी0ए0एम0एस0 डॉक्टर्स को देते हैं, जिसके आधार पर वह वहाँ पर प्रारम्भिक चिकित्सा पूरी करते हैं।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक ए0एन0एम0 का प्रारम्भिक चिकित्सा स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं, वहाँ पर ए0एन0एम0 के पद के लिए एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमने

सारे सम्बद्धीकरण समाप्त कर दिये हैं मगर स्वास्थ्य विभाग में, सारे दूरदराज के स्वास्थ्य उपकेन्द्र खाली पड़े हुए हैं और वहाँ पर जो ए0एन0एम0 तैनात हैं, वे कहीं न कहीं सम्बद्ध हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, जो 129 ए0एन0एम0 के पद रिक्त हैं, वे खाली हैं, जहाँ तक सम्बद्धता का विषय है। कोई कहीं सम्बद्ध नहीं है, यदि कहीं ऐसा प्रकरण माननीय सदस्य के संज्ञान में होगा तो मैं उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि उस पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देहरादून का दून हॉस्पिटल शायद उत्तराखण्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पर एम0आर0आई0, वैन्टीलेटर जैसे उपकरण को आये हुए लगभग डेढ़ साल से ऊपर हो गया है, लेकिन इनको चलाने के लिए अभी तक वहाँ पर चिकित्सक नहीं हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि कब तक यह सुविधा यहाँ की जनता को उपलब्ध हो पायेगी ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, वैसे यह मूल प्रश्न से हटकर के है, चूँकि मूल प्रश्न तो है कि कुल चिकित्साधिकारी और इसके श्रेणी के कौन से पद कहाँ खाली हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, आपका निर्देश मिला है और माननीय सदस्य की जिज्ञासा है तो मैं फिर भी मैं उनको अवगत कराना चाहूँगा कि श्रीमन्, ये मशीन यहाँ पर उपलब्ध हो गयी हैं और क्योंकि एम0आर0आई0 चिकित्सकों का हमारे पास नितांत अभाव को देखते हुए, प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पी0पी0पी0 मोड में ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को हम चलायेंगे। श्रीमन्, वह विधायी प्रक्रिया से लेकर गुजर रहा है। मेरा भरोसा है कि बहुत जल्दी हम उसको पूरा कर लेंगे।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2005–06 में बहुत सारे ए0एन0एम0 सेंटर में फार्मासिस्टों की नियुक्ति की गयी थी। चिकित्सकों के अभाव को देखते हुए और इस समय सरकार के द्वारा बहुत सारे नये

सेटेलाईट उपकेन्द्रों की स्थापना भी की गयी है, क्या इन पर भी, पहले जो पुराने रिक्त ए0एन0एम0 सेंटर हैं, जिन पर फार्मासिस्ट नियुक्त नहीं किये गये हैं और इन नये सेटेलाईट उपकेन्द्रों पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति के बारे में सरकार कोई विचार कर रही है ? यदि हाँ ? तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, हमने 404 सेटेलाईट उपकेन्द्रों की स्थापना इस राज्य में की है। जहाँ तक ए0एन0एम0 केन्द्रों पर फार्मासिस्टों को तैनात करने का विषय है, इसके सम्बन्ध में फार्मासिस्टों का जो एक्ट है, उसके अनुसार उन्हें सिर्फ उस दवाई को देने का अधिकार है, जो डॉक्टर लिखेगा। इसलिए ए0एन0एम0 सेन्टर में जब डॉक्टर ही नहीं होगा, तो वहाँ पर फार्मासिस्टों का कोई काम नहीं है। जहाँ डॉक्टर होगा, वहीं फार्मासिस्ट होगा। उस एक्ट के तहत हमको इजाजत नहीं मिलती है।

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके मध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन ए0एन0एम0 सेन्टरों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति की गई है, उन ए0एन0एम0 सेन्टरों में आज भी फार्मासिस्टों को दवाई देने की अनुमति नहीं है। जब उन ए0एन0एम0 सेन्टर में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो उन ए0एन0एम0 सेन्टरों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति क्यों की गयी है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, वैसे तो यह प्रश्न कहीं से कहीं पहुँच गया है, (हँसी) लेकिन चूँकि माननीय सदस्य की जिज्ञासा है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ उप केन्द्रों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकार ने सब कुछ फार्मासिस्टों को दिया था। माननीय सदस्य को मैं जानकारी देना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विशेष परिस्थितियों में हमने शिड्यूल (के) के अन्तर्गत आने वाली सुविधाओं को फार्मासिस्ट को दिया है।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि क्या अस्पतालों की कुछ इस तरह की कैटैगरी है, जहाँ पर चिकित्सक जाते हैं ? जैसे राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र या इस तरह के अस्पताल, जैसी आपके यहाँ कैटेगरी है, तो मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह से कोई कैटेगरी बनी है, जिसके आधार पर वहाँ चिकित्सकों की भर्ती होती है ? क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रानीपोखरी और भोगपुर दो ऐसे राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा केन्द्र हैं, जिनमें रानीपोखरी में 2001 से और भोगपुर में 2003 से कोई

चिकित्सक नहीं पहुँचा है। वह पूरा क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से और गाँवों की दृष्टि से बहुत अधिक संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र है। वहाँ पर चिकित्सक का जाना बहुत आवश्यक है क्यों कि पूर्व में वहाँ पर ऐसी अनेकों घटनाएं हुई हैं, जिनमें बिना उपचार के लोगों की मृत्यु हो गयी है। इसमें दूसरा अनुरोध यह भी है कि यदि आप वहाँ पर चिकित्सक नहीं भेज रहे हैं, जैसा आपने कहा कि कांट्रेक्ट पर चिकित्सक भेज रहे हैं, यदि वहाँ पर भी इस तरह से चिकित्सक चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न और है कि क्या फिजियोथैरेपिस्ट के 16 पद हैं, जिसके अगेनस्ट 2 ही पद हमारी सरकार द्वारा भरे गये हैं। कृपया इसको भी बताने का कष्ट करें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, किसी भी चिकित्सालय में निश्चित रूप में जो चिकित्सक नियुक्त किये जाते हैं, वे मानकों के ही आधार पर होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि आपने कहा कि दो चिकित्सालय लम्बे समय से रिक्त हैं, तो 218 केन्द्र हमारे ऐसे भी हैं, जहाँ पर चिकित्साधिकारी नहीं हैं लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, सरकार ने अब यह निर्णय ले लिया है कि जो भी रिक्त एस0ए0डी0 हैं, वहाँ पर हम बी0ए0एम0एस0 की नियुक्ति करेंगे और इस दिशा में कार्यवाही गतिमान है।

ग0म0वि0नि0लि0 द्वारा मसूरी में पार्किंग हेतु खरीदी गयी भूमि का ब्यौरा

*3–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा पर्यटन नगरी भूमि में पार्किंग हेतु भूमि खरीदी गयी है ? यदि हाँ, तो मसूरी के किस स्थान पर कब, किस दर पर, कितनी भूमि किससे खरीदी गई है ?

क्या इस भूमि के क्रय हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर, निविदाएं आमंत्रित की गई हैं ? यदि हाँ, तो कब और किस–किस समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी की गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या प्रस्तावित पार्किंग स्थल का नक्शा एम0डी0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0टी0 रुड़की) द्वारा परीक्षण कर लिया गया है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या प्रस्तावित पार्किंग स्थल के लिए भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में निगम की नियमित बैठक द्वारा सहमति दी गई है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

जी हाँ। भूमि कैम्पटीफॉल रोड पर सेवाय होटल से नीचे की ओर होटल विष्णु पैलेस के समीप रु0 950 प्रति वर्ग मीटर की दर पर दिनांक 10 जून, 2005 को क्रय की गयी है। कुल 6.50 एकड़ भूमि क्रय की गयी है, जिसमें से खसरा नं0 337 में 4.437 एकड़ भूमि श्री जगदीश प्रसाद, श्रीमती स्वयं प्रभा, श्रीमती साधना गर्ग, श्रीमती राजरानी, श्रीमती उषा रानी, श्री मोहन लाल तथा श्रीमती बिमला गर्ग नामक व्यक्तियों से तथा खसरा नं0 338 में 2.065 एकड़ भूमि श्री ज्ञान प्रकाश, श्री जगदीश प्रसाद, श्री श्रवण कुमार, श्रीमती अर्चना देवी, श्री संजय गुप्ता, श्री दीपक गोयल तथा श्रीमती बिमला गर्ग नामक व्यक्तियों से क्रय की गयी है।

इस प्रकरण की जाँच कराये जाने पर यह प्रकाश में आया है कि निगम द्वारा भूमि के क्रय हेतु समाचार–पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर निविदाएं आमंत्रित नहीं की गयी, जिसको गम्भीर अनियमितता मानते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

प्रस्तावित पार्किंग स्थल का नक्शा एम0डी0डी0ए0 द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0टी0) रुड़की द्वारा प्लान/नक्शे का परीक्षण कर लिया गया है।

आई0आई0टी0, रुड़की द्वारा प्लान/नक्शे का परीक्षण दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

पार्किंग स्थल के लिए भूमि क्रय करने सम्बन्धी प्रस्ताव को निगम के बोर्ड की नियमित बैठक में नहीं रखा गया अपितु इस सम्बन्ध में निगम के बोर्ड की सहमति चक्रावर्तित–प्रस्ताव के द्वारा दिनांक 16 अप्रैल, 2005 को ली गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष–

किसी माननीय सदस्य की इस प्रश्न से सम्बन्धित कोई जिज्ञासा हो, तो रख सकते हैं।

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तरकाशी नगर में पर्यटन विभाग से बस अड्डा स्वीकृत था, अगर स्वीकृत था, तो उसकी प्रगति क्या है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह तो एक स्पेसिफिक प्रश्न गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा मसूरी में पार्किंग भूमि खरीद में घोटाले से सम्बन्धित है, इससे सम्बन्धित नहीं है।

उत्तराखण्ड जिला योजना का बजट निर्धारण

*4–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में जिला योजना का बजट निर्धारण करने का मापदण्ड क्या है ?

क्या जनपद हरिद्वार का जिला योजना के बजट का निर्धारण शासनादेश के अनुरूप किया गया है ?

यदि हाँ, तो जिलाधिकारी हरिद्वार ने जिला प्लान के पुनः निर्धारण के सम्बन्ध में कोई पत्र शासन को प्रेषित किया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नियमानुसार जनपद हरिद्वार के जिला प्लान के बजट का पुनः निर्धारण करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जिला योजना के परिव्यय का जिलों के मध्य आवंटन/निर्धारण के मापदण्ड अविभक्त राज्य उत्तर प्रदेश के नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित किये गये थे। राज्य गठन से पूर्व तेरहों जनपदों को जो परिव्यय मिल रहा था उसी में समयोपरान्त समानुपातिक वृद्धि की जाती रही है।

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ। सरकार यह महसूस करती है कि समय के साथ–साथ जनपदों के आर्थिक विकास का सापेक्षित स्तर परिवर्तित हुआ है। नव गठित पर्वतीय क्षेत्र–बहुल राज्य

में जनपद हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल एवं देहरादून की विकास दर एवं अवस्थापना सुविधाओं का परिदृश्य अन्य पर्वतीय क्षेत्र के सापेक्ष अत्यधिक परिवर्तित हुआ है। अतः अद्युनातन विकास संकेतकों के समग्र विश्लेषण के उपरान्त ही नये मानक निर्धारण पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ा गया।)

श्री अध्यक्ष–

किसी माननीय सदस्य की इस प्रश्न से सम्बन्धित कोई जिज्ञासा हो, तो रख सकते हैं।

जिला पौड़ी स्थित नीलकंठ महादेव का प्रमुख तीर्थधाम के रूप में विकास

*5–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या तीर्थाटन मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र यमेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल में नीलकंठ महादेव में लाखों यात्री प्रतिवर्ष दर्शन के लिए आते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नीलकंठ महादेव को प्रमुख तीर्थधाम के रूप में विकसित एवं चिन्हित करेगी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नीलकंठ मन्दिर का सरकारीकरण करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

जी हाँ। नीलकंठ महादेव तीर्थधाम के लिए आवागमन को सुगम बनाये जाने तथा तीर्थधाम स्थल पर यात्री सुविधाओं के विकास के लिए कार्यवाही की जा रही है।

नीलकंठ मन्दिर के सरकारीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि वहाँ पर आवागमन के क्या–क्या साधन विकसित किये जा रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, पर्यटन विभाग के स्तर पर नीलकंठ महादेव मन्दिर के निकट 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत बहुमंजिली पार्किंग के निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है। इस

हेतु जिलाधिकारी, पौड़ी द्वारा जो भी भूमि चयनित की गई, वहाँ तक पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिसके उपरान्त ही इस योजना का कार्य प्रारम्भ हो पायेगा। इसके अतिरिक्त श्रीमन्, माननीय सदस्या की भी जानकारी में होगा कि नीलकंठ तक रोपवे के निर्माण को भी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, इसके लिए यू–डैक (उत्तरांचल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी) के माध्यम से समस्त कार्यवाही सम्पन्न कराई जा रही है। इसमें वर्तमान में निजी निवेशक के चयन हेतु विज्ञापन के माध्यम से कार्यवाही संपन्न कराई जा रही है, जब यह चयन हो जायेगा, तो उसके बाद ही इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय तीर्थाटन मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह बात बिल्कुल सच है कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित नीलकंठ महादेव में लाखों यात्री प्रतिवर्ष आते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जिस तरह की सुविधाओं की बात माननीय विजय बड़थ्वाल जी ने की है, मेरा आपसे अनुरोध और सवाल यह है कि ऋषिकेश के अन्दर वीरभद्र महादेव, चन्द्रेश्वर महादेव और सोमेश्वर महादेव के मन्दिर हैं। जो भी यात्री नीलकंठ जाते हैं, निश्चित रूप से भोले के दर्शन करने इन मंदिरों में भी जाते हैं। क्या यहाँ पर भी सुविधायें देने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूँकि यह महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के साथ–साथ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है मान्यवर, और इस सम्बन्ध में सरकार की जो नीति है उसके तहत हम जो नये पर्यटन स्थल हैं उनका विकास और उनके प्रचार–प्रसार करने का कार्य करते हैं। तो ये जितने भी तीर्थस्थल और धार्मिक स्थल आपने गिनाये हैं, वे इसमें शामिल हैं। जैसे–जैसे हमें धन प्राप्त होता जायेगा, इनमें कार्य होता जायेगा। इसको प्राथमिकता के आधार पर लेते रहेंगे।

श्रीमती आशा–

मान्यवर, मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि केदारनाथ और कालीमठ बहुत प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं और लाखों की संख्या में वहाँ पर यात्री जाते हैं, लेकिन मान्यवर, अभी तक केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को गौरीकुंड में, इतनी अव्यवस्था वहाँ पर है कि कहीं भी पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को 10–10 किलोमीटर पीछे रूक कर पैदल जाना पड़ता है। तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि गौरीकुंड के लिए और कालीमठ के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए क्या पार्किंग की कोई योजना सरकार की है और यदि है तो वह कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी, ताकि वहाँ पर यात्रियों को सुविधा प्राप्त हो सके ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह प्रश्न बिल्कुल स्पेसिफिक है नीलकंठ महादेव से सम्बन्धित, लेकिन माननीय सदस्य ने अवगत कराया है, जो आपने पार्किंग की बात कही है, उसका मैं परीक्षण करा लूँगा। चूँकि अगर हमें भूमि उपलब्ध हो गयी तो पार्किंग बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय तीर्थाटन मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो कांवड़ मेला चलता है जो कि अभी माननीय सदस्य श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी ने उठाया, नीलकंठ महादेव में तमाम कांवड पूरे देश भर से आते हैं। वे गोमुख से होते हुए हमारे यहाँ के बीच के 4–4 तीर्थस्थान हैं, जहाँ वे लोग भी दर्शन करने जाते हैं। उसमें मां पंजापुरी का मन्दिर है, दूसरा काण्डा देवी का मन्दिर है, तीसरा कोटेश्वर महादेव, का मन्दिर है, चौथा कर्णादेवी का मन्दिर है, इन तीर्थस्थानों को भी क्या सरकार विकसित करने का प्रयास कर रही है, ताकि बाहर से आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो ? वहाँ पर आवागमन की भी बहुत ज्यादा असुविधा उनको झेलनी पड़ती है। न वहाँ पर कोई धर्मशाला है, न अन्य कोई आवास ऐसे हैं जहाँ वे लोग अपना समय व्यतीत कर सकें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या इन तीर्थस्थलों को भी सरकार विकसित करने का प्रयास कर रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, चूँकि हमारी पर्यटन नीति के आधार पर जैसा कि मैंने अवगत कराया कि ऐसे सभी स्थल जिनमें पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक है, इन सब स्थलों पर मूलभूत आधारभूत आवश्यक आवश्यकताएं उपलब्ध करायी जाएं, इसके सम्बन्ध में बहुत अधिक गम्भीरता से सरकार विचार कर रही है और माननीय सदस्य ने जिन–जिन स्थलों को इंगित किया है, उन सबका हम परीक्षण करा लेंगे, परीक्षणोपरान्त उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि नीलकंठ मन्दिर के सरकारीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि नीलकंठ महादेव एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, धार्मिक स्थल है, क्या यहाँ पर जो भी आय–व्यय होती है, क्या उसको किसी प्रकार से रेग्यूलेट करने का कार्य सरकार के स्तर पर किसी भी माध्यम से होता है ? सरकार की किसी एजेन्सी, किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्या इसको रेग्यूलेट करने पर किसी प्रकार का नियंत्रण, एक्सरसाईज सरकार करती है या नहीं ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन् अद्यतन स्थिति तो यह है कि जो स्थानीय समितियां हैं, मन्दिर की समितियां हैं वही इसके आय–व्यय का लेखा–जोखा और इसको रेग्यूलेट करने की व्यवस्था करती हैं। सरकार, विशेष तौर पर उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् है और पर्यटन विभाग है, ये केवल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, उन स्थलों को प्रचारित प्रसारित करना और वहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को उचित सुविधाएं मिल पाएं, इस बात का ध्यान हम रखते हैं और जहाँ तक माननीय सदस्य ने कहा था कि इसके सरकारीकरण का कोई प्रस्ताव है तो यह अभी विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, वर्तमान में जो वहाँ की व्यवस्था है स्थानीय समितियाँ ही उसको देखेंगी।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, क्या भविष्य में सरकार इस व्यवस्था को अपने हाथ में लेगी क्योंकि हरिद्वार में यह किसी अखाड़े के अधीन है, क्या सरकार इसको अपने अधीन करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आज की तिथि में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*6–श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

टिहरी बांध के जलाशय का उपयोग तथा पर्यटन हेतु विकास

*7–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध से निर्मित जलाशय का उपयोग करते हुए सरकार पर्यटन विकास हेतु कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

भागीरथी नदी–घाटी क्षेत्र के विकास की महायोजना भागीरथी नदी–घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा बनायी जा रही है। पर्यटन विभाग द्वारा टिहरी बांध झील क्षेत्र का फंक्शनल टूरिज्म सैक्टोरल प्लान यू–डैक (उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कम्पनी लि0) से तैयार करवा कर भागीरथी नदी–घाटी क्षेत्र के विकास की महायोजना में सम्मिलित कराने की कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्र की महायोजना लागू होने के पश्चात् ही पर्यटन विकास सम्बन्धी योजनाएं प्रारम्भ की जा सकेंगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इसमें कुछ पूँछना चाहता है ?

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, चूँकि टिहरी बाँध बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत महत्वपूर्ण बाँध बना है इस पर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि इसको डेवलप करने के लिए, इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार टिहरी बाँध का नाम इस प्रदेश के प्रमुख आन्दोलनकारी श्रीदेव सुमन के नाम पर सुमन सरोवर रखे जाने पर विचार करेगी, या नहीं ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव आया है तो इसका परीक्षण करवा लेंगे और परीक्षणोपरान्त ही कोई निर्णय लेंगे।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, परीक्षण करा लेंगे और परीक्षणोपरान्त ही कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, जैसे टिहरी झील पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की जैसी योजना है, ऐसे ही रुड़की विधान सभा क्षेत्र के आस–पास अनेक स्थल हैं जिनको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। वहाँ पर एक नहर रुड़की के बीच से जाती है उसको भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। दूसरा एक स्थल ऐसा है जहाँ पर छोटी–छोटी नहरें निकलती हैं, वह बहुत ही रमणीक स्थल है, इसको भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। रुड़की के आस–पास जैसे रुड़की के ऊपर नदी है और नीचे नहर है, 6 किलोमीटर हरिद्वार की तरफ जायें तो वहाँ पर बराबर लेबल है नदी और नहर का, इनको भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। मान्यवर, इमलीखेड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थल है, जो प्राचीन गाँव है, जहाँ पर कि एक राजनीतिक गंगा बहती है, उसको भी डेवलप किया जा सकता है। मान्यवर, वहाँ पर एक बहुत प्राचीन धार्मिक स्थल है, उसको भी विकसित किया जा सकता है। क्या इस तरह की कोई योजना रुड़की के लिए है ? क्योंकि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर

पर्यटक आते हैं जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, नीलकंठ है और अपने चारों धाम हैं। मान्यवर, पर्यटन की दृष्टि से रुड़की बहुत ही उपेक्षित चला आ रहा है। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि क्या रुड़की को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, इसमें टिहरी से लेकर रुड़की तक एक चेन बन सकती है, तो माननीय मंत्री जी इसमें अपना कुछ सुझाव देना चाहें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि हम नये डेस्टीनेशन क्षेत्रों के लिए क्या विकास कर सकते हैं, तो मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अभी तक 796 नये डेस्टीनेशन डेवलप कर रहे हैं, नये पर्यटक स्थलों को विकसित कर रहे हैं, इन योजनाओं पर हम कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, यह सतत् चलने वाली प्रक्रिया है और इस सतत् चलने वाली प्रक्रिया के तहत जितने भी नये पर्यटक स्थल हैं उन सभी का चिन्हीकरण और उसके विकास को प्राथमिकता के आधार से चयन, यह नियमित रूप से हम कर रहे हैं और यह हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भोगपुर के पास सूरीधार एक जगह है। जहाँ पर कि प्रचुर मात्रा में जल है। मेरा माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध है कि यदि वहाँ पर जलाशय बना दिया जाए तो वहाँ पर विद्युत उत्पादन, सिंचाई और पेयजल भी प्रचुर मात्रा में है उससे लाभ मिल सकता है और वह बहुत ही सुन्दर पर्यटक स्थल भी बन सकता है। मेरा अनुरोध है कि इस पर भी विचार कर लिया जाय। तो मैं समझता हूँ कि यह क्षेत्र के लिए भी, वहाँ के निवासियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम नये डेस्टिनेशन को डेवलप करने के बारे में बिल्कुल गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। ऐसे सभी नये पर्यटक स्थलों को विकसित करना है। ऐसे 796 पर्यटक स्थल अभी तक आ चुके हैं, तो जितने भी सुझाव आयेंगे, उनका परीक्षण करायेंगे।

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मनेरी भाली जलाशय के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में कोई योजना है? क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उसे नौकायन व जल क्रीड़ा से सम्बन्धित अन्य खेल व साहसिक खेलों के लिए विकसित किया जा सकता है। क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा आपस में बातें करने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, चूँकि यह पर्यटन विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं है। इसलिए इस तरह की दिक्कत सामने आती है। माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है तो मैं इसका परीक्षण करवा लूँगा। इसके पश्चात् जो उचित कार्यवाही होगी वह की जाएगी।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि टिहरी बाँध से निर्मित जो जलाशय है, उसको पर्यटक स्थल बनाने के लिए मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है, जो लिखा है बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वहाँ पर साहसिक खेलों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी झील है। वहाँ पर हमारे देश के साहसिक खेलों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र बन सकता है। इससे अनेकों प्रकार की जल क्रीड़ायें हो सकती हैं। वहाँ पर महोदय जे0पी0 कम्पनी द्वारा सैकड़ों बीघा जमीन पर अनावश्यक कब्जा कर रखा है। मैं पहले भी अवगत करा चुका हूँ, इस मामले में माननीय मंत्री जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कि अनावश्यक कब्जे को हटाकर वहाँ पर साहसिक खेलों का प्रशिक्षण केन्द्र बनाने के बारे में क्या सरकार विचार कर रही है ? क्योंकि यह पूरे क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। टिहरी के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मामले में माननीय मंत्री जी का वक्तव्य जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैंने सम्मानित सदन को अपने मूल प्रश्न के उत्तर में अवगत कराया था कि वर्तमान में यू–डैक के माध्यम से टिहरी लेक एरिया के लिए एक फंक्शनल टूरिज्म सैक्टोरल प्लान तैयार किया जा रहा है और इसमें इन सभी बातों का उल्लेख है कि हम इस टिहरी लेक एरिया को एक बेहतर टूरिज्म डैस्टिनेशन के रूप में कैसे डैवलप कर पायेंगे और ये जब मास्टर प्लान हमारे समक्ष आ जायेगा, इस मास्टर प्लान में उन सभी विषयों का उल्लेख है। इसमें 20 बिन्दु मूल रूप से निर्धारित किये गये हैं, जिनमें इन सभी विषयों का समावेश है कि टिहरी लेक में हम किस तरह से जल क्रीड़ा की गतिविधियॉं बढ़ा सकते हैं। किस तरह से इसमें पर्यटकों को आकर्षित करने के उपाय हम कर सकते हैं यह सब उस मास्टर प्लान के अन्तर्गत है। चूँकि अभी यह मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही यह तैयार हो जायेगा, उसके पश्चात् गुण–अवगुण के आधार पर निर्णय लेकर के अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने जो अवैध कब्जे के बारे में किसी कम्पनी या व्यक्ति द्वारा कब्जा किये जाने का उल्लेख किया है, उसका भी आप परीक्षण करवा लें और यदि अवैध कब्जे हैं तो उसे खाली करवायें, जिस कारण यह भी हो सकता है कि जो भी आपकी योजनाएं हैं वे बाधित हों।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय सदस्य ने जिन कब्जों की ओर ध्यानाकर्षित किया है, उनका मैं परीक्षण करवा लूँगा।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सहस्त्रधारा जो कि यहाँ का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, वहाँ पर उसके विकास के लिए कोई योजना बनाई गई है ? जहाँ तक मेरी जानकारी है लगभग 10 वर्ष पूर्व एक पर्यटक आवास गृह बना था वह बन्द पड़ा है। दूसरा देहरादून के अन्दर चार प्रमुख सिद्ध स्थल हैं। कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, मानक सिद्ध और माणुक सिद्ध यहाँ पर हैं। जिसकी यहाँ पर एक विशेष मान्यता है। समय–समय पर मैं पत्राचार द्वारा माननीय पर्यटन मंत्री जी को लिख चुका हूँ। क्या यहाँ के मानचित्र को पर्यटन में लाने की कोई सरकार की योजना है ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि यह मूल प्रश्न से हट करके विषय है लेकिन जैसाकि मैंने माननीय सदस्य के इस प्रश्न के उत्तर, पूर्व प्रश्न के उत्तर में भी बताया था कि जितने भी नये पर्यटक स्थल हैं उनके चिन्हीकरण का कार्य हम नियमित रूप से करते हैं और नियमित रूप से उनके विकास का कार्य करते हैं। जहाँ तक आपने पर्यटक आवास गृह स्थल के खाली रहने की बात कही है। आपके विषयों का संज्ञान ले लिया जायेगा और जो आपने नये स्थल बताये हैं, उनके परीक्षण करने के लिए मैं निर्देशित करता हूँ।

प्रदेश में जनस्वास्थ्य रक्षकों की पुनर्नियुक्ति

*8–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जन स्वास्थ्य रक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

क्या सरकार उनकी पुनर्नियुक्ति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ। भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2002 में।

केन्द्रीय वित्त पोषित ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक योजना को भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2002 से समाप्त किया गया है तथा इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य में शासनादेश संख्या 1201/चि0–3–2002–107/2002, दिनांक 25 मार्च 2003 द्वारा योजना को राज्य संसाधनों पर जारी न रखने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण जन स्वास्थ्य योजना को राज्य संसाधनों पर जारी रखना उचित नहीं पाया गया है।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी माननीय सदस्य इस प्रश्न के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

लक्सर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खरन्जा कुतुबपुर निवासी एक फर्जी डॉक्टर के कार्यों की उच्चस्तरीय जाँच

*9–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि प्रश्नकर्ता द्वारा मा0 स्वास्थ्य मंत्री को सम्बोधित पत्रांक ख–5186, दिनांक 30–10–2007 तथा अनुस्मारक पत्रांक ख–39501, दिनांक 11–12–2007 द्वारा लक्सर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खरन्जा कुतुबपुर निवासी एक व्यक्ति जो कि फर्जी चिकित्सक का कार्य कर रहा है, के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जाँच विषयक पत्र मा0 मंत्री जी को प्राप्त हुए थे ?

यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गई ?

क्या सरकार उक्त दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

उप मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार से जाँच करायी गई।

जाँच अधिकारी की आख्यानुसार अवैध रूप से चिकित्साभ्यास किया जाना नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसर।

श्री अध्यक्ष–

चूँकि प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए यदि इस प्रश्न के सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य की कोई जिज्ञासा है तो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। हमारे इस प्रदेश को बने हुए आठ वर्ष हो चुके हैं। आज भी प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यन्त लचर है। प्रदेश के दूरस्थ/दुर्गम स्थानों में कहीं पर डॉक्टर्स नहीं हैं, कहीं पर फार्मेसिस्ट नहीं हैं। बहुत सारे कर्मचारियों का अभाव है और प्रदेश भर के इन छोटे–छोटे कस्बों में, छोटे गाँव के आस–पास बहुत सारे झोला छाप डाक्टर्स अपनी दुकान खोले बैठे हैं। उनके दुकान के आगे जो बोर्ड लगे रहते हैं पता नहीं उनको किस आधार पर डिग्रियां मिलती हैं। ए0,बी0,सी0,डी0 क्या–क्या उनमें लिखा होता है। क्या सरकार इनके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही किये जाने का निर्णय लेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? मान्यवर इससे पूरे प्रदेश में बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यह गम्भीर विषय है और इस पर कोई न कोई ठोस कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इन पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, जहाँ तक दूरस्थ क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का प्रश्न माननीय सदस्य ने कहा है। श्रीमन्, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि दूरस्थ क्षेत्र में हमारी नौ हजार आशाएं काम कर रही हैं, जबकि लगभग दो हजार ए0एन0एम0 काम कर रही हैं और जो सेटेलाईट उपकेन्द्र हैं उनमें अलग से काम हो रहा है। जबकि दूरस्थ क्षेत्र में ही जो फार्मेसिस्ट की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, प्रोजेक्ट पाइलट के रूप में वे भी अत्यन्त दूरस्थ क्षेत्र में और दुर्गम स्थानों में उनकी व्यवस्था की गयी है। श्रीमन्, जहाँ तक झोला–छाप डॉक्टर्स का विषय है पूरे राज्य में इसका एक अभियान विभाग ने लिया है और अभी तक लगभग 158 लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है। जब भी ऐसी शिकायत मिलती है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, यहाँ शिकायत की बात नहीं है। आज भी ये दुकान अवस्थित हैं, उन कस्बों में ये सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कोई अच्छी सुविधा नहीं होने की वजह से इन्ही लोगों के सहारे, लोग अपनी बिमारियों का ईलाज कराने जाते हैं। आये दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं और बहुत ज्यादा सूचनायें सरकार तक नहीं जा पाती

हैं। जब तक इस पर स्पष्ट एक निर्णय या एक नीति नहीं बनती है, ये सारी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इनकी डिग्रियों की जाँच करते हुए और जैसा आपने कहा कि 158 लोगों के खिलाफ ये जांच की गयी, वह किन–किन जनपदों में की गयी है और अभी भी बहुत सारी जगहों पर ये झोला–छाप डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उनको क्या राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसा प्रमाण–पत्र देंगे ताकि उनके दुकान में वह टँगा हुआ हो जिससे हम देख सकें या जनता देख सके कि हाँ वह सही डॉक्टर है कोई फर्जी डिग्री नहीं है ? इसके लिए कोई आप ठोस निर्णय लेगे या नहीं? सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, जो अभी बताया कि जनपद में क्या कार्यवाही हुई है तो ऊधमसिंह नगर में 28, देहरादून में 108, टिहरी में 12 और हरिद्वार में 10 डाक्टरों के खिलाफ जिनके पास डिग्री नहीं है और प्रैक्टिस कर रहे है, कार्यवाही की गयी है। जहाँ तक माननीय सदस्य ने जिज्ञासा प्रकट की कि क्या चिकित्सक उनके जो बोर्ड हैं या इस तरीके से होगा जिससे प्रमाणित हो कि राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित डाक्टर है तो श्रीमन्, हमारे पास भारतीय चिकित्सा परिषद् है और स्टेट मेडिकल काउन्सिल है। इनसे जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं उन्हीं को हम लोग अनुमति देते हैं। इस राज्य में लगभग 1000 से भी अधिक की ऐसी संख्या है जो इलेक्ट्रो–होम्योपैथी के नाम पर इस समय चिकित्सा किये जा रहे हैं। क्योंकि इनको कई प्रदेशों में मान्यता दी है और वर्तमान में इनके खिलाफ हमने कार्यवाही इसलिए नहीं की क्योंकि हमने विभिन्न प्रदेशों से जो उनकी माँग थी, चार वर्षों का उनका डिग्री कोर्स है, हमने भारत सरकार से माँग की है, भारत सरकार के विभिन्न राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है, ऐसे चार प्रदेश हैं जहाँ पर भारत सरकार ने इनको मान्यता दी है, उसको देखते हुए हमने एक बार कोशिश की है भारत सरकार से अनुमति लेने की, कि जिस आधार पर उन प्रदेशों को मान्यता दी है तो क्या यह राज्य मान्यता दे सकता है क्योंकि कमोवेश डॉक्टरों की संख्या हमारे प्रदेश में कम है और हम तत्काल यदि उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं तो कठिनाई पैदा होगी। इसलिए पहले हम इसका मार्गदर्शन भारत सरकार से लेना चाहेंगे बाद में कार्यवाही करेंगे।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिन डॉक्टरों के पास बी0आई0एम0एस0 की डिग्री है और जो 20–20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम उत्तर प्रदेश में थे। उन संस्थानों से डिग्री दी गयी है। क्या आप उनको मान्यता देंगे? मेरे संज्ञान में आया है कि ऐसे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनके पास डिग्री है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, भारत सरकार के सी0सी0आई0एम0 के जो मानक होते हैं उसके आधार पर जो संस्थान चिन्हित होते हैं भारत सरकार से और उन संस्थानों से जो डिग्री लेने वाले

डॉक्टर हैं, उन्हीं को हम इस राज्य में रजिस्टर्ड करते हैं। माननीय सदस्य ने जिस जिज्ञासा को प्रकट किया है और मेरे संज्ञान में भी आया है क्योंकि 1978 से पहले जो चिन्हित थे उसको वर्तमान में सी0सी0आई0एम0 ने जो डिग्री है अपने मानक से उनको हटा दिया है इसलिए इस राज्य में जब भी भारतीय चिकित्सा परिषद् के आधार पर हम उनको रजिस्टर्ड करते हैं तो हट जाते हैं, जो उस श्रेणी के हैं। इसलिए इस राज्य में जो भी भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानकों के अन्तर्गत आता है किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी अपने उत्तर में आशाओं के बारे में जिक्र किया है। वास्तव में दूरस्थ क्षेत्र में आशाएं बहुत अधिक मेहनत करती हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या सरकार आशाओं के पारिश्रमिक या उनकी सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास कर रही है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, आशाएं चूँकि गाँव में होती हैं और वे मानदेय पर होती हैं। केस टू केस उनको मानदेय दिया जाता है और पहले जो मानदेय दिया जाता था उसके बहुत ऊपर अभी दिया जाता है लेकिन जितना वे काम करेंगी उतना ही मानदेय मिलता है। मान्यवर, सुविधाएं उसी में समाहित हैं।

प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों हेतु स्मार्ट कार्ड योजना

*10–श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सुश्री कैरन मेयर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों के लिए स्मार्ट–कार्ड योजना लागू कर दी गई है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो उसमें क्या कठिनाई है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

प्रक्रिया गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि क्या प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों के लिए स्मार्ट कार्ड योजना लागू कर दी गई है, तो उत्तर आया है कि प्रक्रिया गतिमान है। मैं

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि यह प्रक्रिया कौन सी डेट में, कौन से माह से या किस वर्ष से शुरू की गई है और इसके पूर्ण होने की समय सीमा क्या है और दूसरा मैं यह जानना चाहती हूँ कि स्मार्ट कार्ड से राजकीय कर्मचारियों को कौन–कौन सी बीमारियों में और क्या–क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी और कौन–कौन सी चिकित्सा सुविधा इस कार्ड के माध्यम से दी जायेगी ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, यह इस राज्य की एक बहुत ही महत्वकांक्षी और देश के लिए एक अभिनव प्रयोग योजना है जो इस सरकार ने शुरू की है। उत्तराखण्ड में स्मार्ट हेल्थ कार्ड के नाम से चलने वाली यह योजना इस राज्य में सभी राज्य कर्मचारियों को और इस राज्य के सभी पेंशनधारियों को और उनके परिवार को मिलने वाली सुविधा संजीवनी का काम करेगी। श्रीमन्, इस सरकार ने पिछले सत्र इस वर्ष के बजट सत्र में निर्णय लिया कि हम एक ऐसा कैशलेस कार्ड तैयार करेंगे जो कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए और उनके परिवार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा इस वर्ष इसकी प्रक्रिया जारी है। हम विचार करते हैं आगामी 3 माह के अन्दर क्योंकि इसमें एम0ओ0यू0 होना है तो 3–4 महीने का समय इस पर कम से कम लगेगा। लगभग सवा दो लाख परिवारों को सीधे–सीधे लाभ मिलेगा। श्रीमन्, यह देश का पहला अभिनव प्रयोग हमने इस राज्य में किया है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उल्लेख भी किया है कि निश्चित रूप से सरकार बहुत गम्भीर है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राजकीय कर्मचारी और सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी तथा उनके परिवारों को जो स्मार्ट कार्ड योजना लागू करने पर विचार सरकार कर रही है, तो क्या उस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से कुछ चिन्हित बीमारियों विशेष के लिए सुविधा मिलेगी या सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से हो पायेगी ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, जैसा कि माननीय श्रीमती विजय बड़थ्वाल, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने इसी के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रकट की है, राज्य के कर्मचारियों को जो भी सुविधा अनुमन्य है चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित सभी सुविधाएं उसके तहत अनुमन्य होंगे। सिर्फ अन्तर यह होगा कि उस समय जब कर्मचारी या उसके परिवार का कोई बीमार होता है तब वह अग्रिम लेने के लिए दर–दर भटकता है, समय पर अग्रिम नहीं मिल पाता है। तो इस स्थिति में उसको कर्ज लेना पड़ता है और इलाज कराना पड़ता है और फिर प्रतिपूर्ति के लिए फिर भटकना पड़ता है। समय से मदद नहीं मिलती है इसलिए हमने एक ऐसा कैश लेस कार्ड तैयार किया है, जिस कार्ड को लेकर उसको मिलने वाली वह

सभी सुविधायें जो अनुमन्य हैं, वो किसी भी अस्पताल में जायेगा, न केवल राजकीय अस्पतालों में बल्कि सरकार ने यह भी विचार किया है कि देश की जानी मानी वो संस्थायें जो जीवन रक्षक दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हों चाहे वो एम्स है, पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ या लखनऊ है या देश के वो महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो जीवन रक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन सभी बड़े संस्थानों से हम अनुबन्ध करेंगे। हमारे राजकीय कर्मचारी न केवल राजकीय चिकित्सालयों में सुविधा प्राप्त करेंगे बल्कि देश के उन विभिन्न बड़े चिकित्सालयों में जिससे राज्य सरकार अनुबन्ध करेगी उनमें भी वह जा सकेंगे। दूसरा विषय श्रीमन्, माननीय मुन्ना सिंह जी ने जो कहा है 'कि एक विशेष प्रकार की', पहले तो यह विशेष प्रकार की नहीं है, यह सभी में है, लेकिन इस सरकार ने विशेष प्रकार की व्याधियों में जबकि ऐसी व्याधि जो जीवन को कभी भी ग्रसित कर सकती है, ऐसी चिन्हित व्याधियों में, प्राणघातक बीमारियों में, चिन्हित बीमारियों में इस राज्य ने व्याधिनिधि का गठन किया है और डेढ़ लाख रुपये तक आर्थिक मदद व्याधिनिधि के तहत आज भी यह राज्य देने को तैयार है।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो स्मार्ट कार्ड की पॉलिसी उत्तराखण्ड में अपना रखी है, यह पॉलिसी सिर्फ जो कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, उन लोगों के लिए है। मान्यवर, ये लोग अपने आप में धनवान हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो लोग नौकरी में नहीं हैं, जो गरीबी की अवस्था में जीवनयापन कर रहे हैं, उनके लिए आपने कौन सी ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जिससे कि ये लोग यहाँ की गवर्नमेन्ट का लाभ ले सकें ? माननीय अध्यक्ष जी, अमूमन देखा गया है कि सरकार ने जो कुछ चुनिंदा बड़े–बड़े अस्पताल ले रखे हैं, इस दिशा में सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमको आये दिन उन लोगों से जूझना पड़ता है। मान्यवर, हमारे यहाँ पर जब हमारी माताएं–बहिनें गर्भावस्था में रहती हैं, अगर उनके पेट में कुछ गड़बड़ी हो गयी, डिलीवरी के समय कोई दिक्कत होती है तो जो अस्पताल सरकार ने यहाँ उत्तराखण्ड में ले रखे हैं। चाहे वह सी0एम0आई0 हो, महन्त इन्दिरेश जी का हो, या जौलीग्रांट में हिमालियन इंस्ट्टीयूट हो, तो उन बच्चों के लिए जो मशीनें हैं, जोकि जीवन रक्षक मशीनें हैं, उनके बारे में जैसा कि यहाँ पर हमारे मंत्री जी कह रहे हैं, वे उपकरण इन चिन्हित अस्पतालों में कहीं पर भी नहीं हैं। मान्यवर, यहाँ पर एक वैश्य नर्सिंग होम है, यहाँ पर इन अस्पतालों से ऐसे गम्भीर बीमार बच्चों को रेफर करते हैं। मान्यवर, इन बच्चों के गाजियनों के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वे इन मशीनों का व्यय उठा सकें और सरकार के पास भी ऐसा कोई साधन नहीं है। सरकार कह देती है कि ये अस्पताल हमने नहीं ले रखा है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो ऐसे बच्चे होते हैं, छोटे–छोटे नौनिहाल होते हैं, क्या इनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे ? मैं इसमें माननीय मंत्री जी का वक्तव्य जानना चाहता हूँ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने एक तो यह जिज्ञासा प्रकट की है कि कर्मचारी और भूतपूर्व कर्मचारी और परिवार के लोगों को तो सुविधा मिल रही है, लेकिन जो बहुत गरीब लोग हैं, उनको क्या सुविधा मिल रही है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि गरीबी की रेखा से नीचे के जितने भी लोग हैं, उनके लिए सार्वभौमिक बीमा योजना यह सरकार चला रही है। सार्वभौमिक बीमा योजना के तहत 30 हजार रु0 तक की प्रतिवर्ष उसको प्रतिपूर्ति मिलेगी, उसको छूट मिलेगी, निःशुल्क सुविधा की। श्रीमन्, इतना ही नहीं यदि उस परिवार में कोई सदस्य, यदि उस परिवार का मुखिया, या जिस पर वह परिवार निर्भर रहता था, यदि उसकी किसी आकस्मिक घटना में मृत्यु हो जाती है तो श्रीमन्, उस परिवार को तत्काल प्रभाव से 25 हजार रु0 भी दिया जायेगा। श्रीमन्, जहाँ प्रतिवर्ष 30 हजार रु0 तक की प्रतिपूर्ति होती है, वहाँ ये दूसरी सुविधा भी है। श्रीमन्, तीसरी सुविधा जो बी0पी0एल0 परिवार हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए इस राज्य में ऐसी प्राणघातक बीमारियों के समय में ही जो डेढ़ लाख रु0 तक व्याधिनिधि देते हैं, यह उन्हीं परिवारों के लिए अनुमन्य है जो गरीबी की रेखा से नीचे के हैं और यह राज्य लगातार ऐसे लोगों पर निगाह रखे हुए है और सुविधाएं लगातार दे रहा है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बी0पी0एल0 परिवारों के लिए राज्य व्याधिनिधि दी जाती है, यह बहुत अच्छा कदम रहा है, लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी तकनीकी समस्या पूरे प्रदेश में देखने को मिलती है, जिसकी जानकारी सम्भवतः माननीय मंत्री जी को भी है। अचानक कहीं पर हार्ट अटैक होता है और कुछ चुनिंदा अस्पताल जो सरकार ने चिन्हित किये हैं प्रदेश से बाहर, जिसमें ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेंज (एम्स) है, और तमाम जो अन्य अस्पताल हैं। मान्यवर, वहीं पर जाने के बाद पेशेंट को चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलती है। जब अचानक किसी को हार्ट अटैक होता है तो वह किसी भी चिकित्सालय में अपना इलाज कराता है। जब वह अपनी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए सारे कागजात जमा करता है तो जिला स्तर पर ही सी0एम0एस0 व सी0एम0ओ0 के द्वारा यह कह कर नकार दिया जाता है कि आपने अपना इलाज उन चिकित्सालयों में नहीं कराया है, जिनको चिन्हित किया गया है। मान्यवर, यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। अभी अल्मोड़ा जनपद के दो ऐसे केस मेरे सामने आए हैं, जिनको लेकर मैं अभी माननीय मंत्री जी के पास जाऊँगा। मेरा माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह निवेदन है कि जहाँ आप बी0पी0एल0 परिवारों को डेढ़ लाख रुपया क्षतिपूर्ति दे रहे हैं, वहीं पर यदि यह छूट भी दे दी जाय कि किसी भी अस्पताल में यदि बी0पी0एल0 परिवार का सदस्य इलाज करवाता है, अपने ओरिजनल बिल बाउचर देता है तो उसको

चिकित्सा प्रतिपूर्ति हो जाय। मान्यवर, जब सुविधा दे ही रहे हैं तो इसमें थोड़ी शिथिलता दे दें तो इससे काफी लाभ उन बी0पी0एल0 परिवारों को मिल सकता है।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, पहले तो व्याधियां भी निश्चित हैं और व्याधियों के बाद उनको दूर करने के लिए चिकित्सा संस्थान भी निश्चित हैं। कमोबेश यही स्थिति, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा है, यह होता भी है लेकिन जो व्याधि निधि समिति है, उसमें जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बहुत विचार करके नियम बनाये हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है, तो हृदय रोग से सम्बन्धित जो सक्षम अस्पताल हैं, केवल वही चिन्हित किये गये हैं। अन्यथा कई बार यह होता है कि वह कहीं और जाएगा तो उसको दिक्कत होगी। माननीय सदस्य ने जो यह चर्चा की है, उस पर हम एक बार विचार अवश्य करेंगे लेकिन सरकार ने सक्षम संस्थानों को चिन्हित किया है और जो सक्षम अस्पताल हैं, वहीं पर इलाज कराने पर प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त श्रीमन्, जो पहले माननीय सदस्य ने कहा था बच्चों के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जननी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जितने भी बी0पी0एल0 परिवार हैं, उनकी निःशुल्क चिकित्सा हो रही है। बहुत सारे संस्थानों को, जो प्राईवेट नर्सिंग होम हैं, उनको पी0पी0पी0 मोड में चिन्हित किया है। अधिकांश संस्थान, जो इस दिशा में सक्रिय हैं, सक्षम हैं, उनको चिन्हित किया है। हम यहाँ पर बेहतर सुविधा दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने एक नई जानकारी दी है, उसको मैं दिखवा लूँगा। यदि वह संस्थान बेहतर सेवा वहाँ पर दे रहा है तो हम उसको भी चिन्हित करने की दिशा में विचार करेंगे।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो हम कहते हैं कि बी0पी0एल0 कार्ड इस प्रदेश में गलत बने हुए हैं। इस बात को सरकार भी मानती है और इसलिए सरकार समाज कल्याण की योजनाओं में आय के प्रमाण–पत्र के आधार पर उनको सुविधाएं दे रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी आय के सर्टीफिकेट के आधार पर क्यों नहीं दी जा रही हैं ? इनको आय के सर्टीफिकेट के आधार पर सुविधा दी जाय, बी0पी0एल0 कार्ड की अनिवार्यता में शिथिलता दी जाय ताकि वास्तविक रूप से गरीब आदमी, जिनका कार्ड नहीं बना है, उनको स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, जहाँ तक बी0पी0एल0 कार्ड का विषय है, चूँकि भारत सरकार से सम्बधित बहुत सी योजनाएं ऐसी होती हैं, जो केवल बी0पी0एल0 परिवारों को अनुमन्य होती हैं। इसलिए भारत सरकार के जो मानक हैं, स्वास्थ्य विभाग में हमको उन पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा प्रकट की है, यह बात

सही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो निर्धन होते हैं लेकिन बी0पी0एल0 कार्ड उनके पास नहीं होता। इसलिए हमारी सरकार यह भी विचार कर रही है कि जो व्याधिनिधि है, उसके अन्तर्गत ऐसी उप निधि का गठन हो, जिसमें, जैसा कि माननीय सदस्य ने जिज्ञासा प्रकट की है कि आर्थिक आधार पर सक्षम न होने की दशा प्रमाणित हो जाय, तो उसको उस उप निधि से हम मदद दे सकेंगे, इस दिशा में भी विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जो गलत बी0पी0एल0 कार्ड इश्यू हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, बी0पी0एल0 कार्ड स्वास्थ्य विभाग तो जारी नहीं करता है। गलत और सही का निर्धारण करना भी एक अलग एजेन्सी का काम है। यह बिल्कुल अलग विषय है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राज्य व्याधिनिधि के अन्तर्गत जिन बीमारियों का चिन्हीकरण किया गया है, वह बहुत सीमित हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते लोग हमारे पास आते हैं और जब हम अधिकारियों से पूछते हैं तो वह बताते हैं कि यह बीमारी इसके दायरे में नहीं आती है। तो क्या सरकार इसके दायरे को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, व्याधिनिधि में जो चिन्हित व्याधियां है, वह बहुत सोच–समझ कर शामिल की गई हैं। सामान्यतः यह योजना बी0पी0एल0 परिवारों के लोगों के लिए है, तो चिकित्सालय में बी0पी0एल0 परिवारों को आम बीमारियों में निःशुल्क चिकित्सा मिलती है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि उनको ऐसी व्याधियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि आम नहीं हैं, तो ऐसी असामान्य स्तर की व्याधियों को इसमें चिन्हित किया गया है और उनको व्याधिनिधि के अन्तर्गत रखा गया है।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत धारचूला के छिपला केदार, ट्रैकिंग स्थल दारमा घाटी, आदि पर्यटन स्थालों के विकास हेतु नीति

*11–श्री गगन सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल छिपला केदार, ट्रैकिंग स्थल दारमा घाटी, निलम ग्लेशियर, कोकिला कनार, छोटा कैलाश, जौलजीवी बालेश्वर आदि स्थित हैं ?

क्या सरकार उक्त पर्यटक स्थलों के विकास एवं प्रचार–प्रसार हेतु कोई ठोस नीति बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

जी हाँ। वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 में इस क्षेत्र में दारमा–व्यासघाटी डेस्टीनेशन के पर्यटन विकास की योजना एवं अन्य योजनाओं को मिलाकर रु0 551.19 लाख की योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं जिसके सापेक्ष रु0 123.19 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। राज्य के अन्य पर्यटक स्थलों के साथ–साथ इस क्षेत्र के पर्यटक स्थलों का भी विभिन्न स्तरों पर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गगन सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटक मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि पर्यटन की दृष्टि से 551.19 लाख की योजनायें स्वीकृत की गई हैं, जिसके सापेक्ष 123.19 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि छिपला केदार को पर्यटन मानचित्र में दर्शाया गया है या नहीं ? यह एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है और उस क्षेत्र के लोग हमेशा वहाँ मुंडन कराते हैं और जनेऊ बंधन भी करवाते हैं। यहाँ पर 16 कुंड पाये जाते हैं, जो ऐसे विचित्र कुंड हैं कि ऐसे कुंड अन्य जगहों पर नहीं पाये जाते हैं। तो क्या सरकार उनके रख रखाव के लिए कोई योजना तैयार कर रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो दारमा–व्यास घाटी डेस्टीनेशन है, उसके अन्तर्गत मांगती, गुंजी, दातू, दुग्ती, कुटी इत्यादि स्थल हैं और उनको हम एक टूरिस्ट डेस्टीनेशन के रूप में विकसित कर रहे हैं। दूसरा विषय जो माननीय सदस्य ने छिपला केदार के सम्बन्ध में कहा है, निश्चित रूप से छिपला केदार एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। जैसा कि मैं अपने पूर्व प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूँ कि यह एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है, इसके प्रथम चरण में हमने व्यास घाटी डेस्टीनेशन को चिन्हित किया और उसका विकास करना प्रारम्भ किया गया है और इसी भांति राज्य के अन्य क्षेत्रों में जो नये पर्यटक स्थल हैं, उन सभी पर्यटक स्थलों के चिन्हीकरण और उन्हें विकसित करने की एक सतत् प्रक्रिया के तहत हम चल रहे हैं।

श्री गगन सिंह–

मान्यवर, उस क्षेत्र में जो छिपला केदार मार्ग है, वह भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है और वहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए कोई पर्यटक आवास गृह भी नहीं बनाये गये हैं। मैं चाहता हूँ कि उस क्षेत्र में मार्ग भी सही बनाया जाय और पर्यटकों के विश्राम के लिए पर्यटक आवास गृह को भी बनाया जाय। इसी प्रकार कोकिला कनार देवी मां के यहाँ भी प्रतिवर्ष एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यवर, कोकिला कनार मंदिर को भी पर्यटन मानचित्र में दर्शाया जाय। मान्यवर, और प्रतिवर्ष सुचारू रूप से धन की व्यवस्था की जाय जैसे जौलजीवी और गौचर में 14 नवम्बर को ही मेला प्रारम्भ होता है और जौलजीवी में अभी तक कोई पर्यटक आवास गृह नहीं है, विश्राम गृह नहीं है। इसलिए पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इन–इन जगहों में अवश्य पर्यटक स्थल और आवास गृह भी बनाये जायें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य जिस तरह से छिपला केदार, कोकिलादेवी, जौलजीवी इत्यादि स्थलों के विकास के सम्बन्ध में सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में बात ले करके आये हैं, मैं इन सभी स्थलों का परीक्षण करा लूँगा और परीक्षणोपरान्त कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

श्री गगन सिंह–

मान्यवर, इसमें कोई समय सीमा निर्धारित कर दी जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, शीघ्र से शीघ्र इसका परीक्षण कराएंगे।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, ऋषिकेश में संजय झील को पिछले दिनों विकसित किया गया था, किन्तु बीच में उसे रोक दिया गया। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार इसको विकसित करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मैं आपकी बात का संज्ञान लेते हुए इसका परीक्षण करा लूँगा।

श्री राजकुमार–

मान्यवर, उत्तरकाशी जिले के पुरोला क्षेत्र में सरोताल और हर की दून पर्यटक स्थल हैं। हजारों पर्यटक हर साल यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर्यटकों के लिए कोई

सुविधा नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या इसको विकसित करने की कोई योजना बनायी है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। माननीय सदस्यों के माध्यम से जब प्रस्ताव आते हैं तो उनका हम परीक्षण करवाते हैं और परीक्षणोपरान्त इसमें आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है, उस पर्यटक स्थल के विकास में आधारभूत आवश्यकता क्या है यह सब हम चिन्हित करते हैं। उसके अनुरूप कार्यवाही करते हैं। माननीय सदस्यगणों से मेरा आग्रह है कि जो भी स्थल उनके क्षेत्र में हो, उसके सम्बन्ध में हमें जानकारी दें, ताकि उसमें आगे कार्यवाही कर सकें।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार पर्यटन की दिशा में काफी काम कर रही है। अभी 2009 में सैफ गेम, ओली में होने वाले हैं। उस दिशा में क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इसके साथ जो औली में सेफ गेम होने हैं और उसके साथ ही अन्य पर्यटक स्थलों को सरकार विकसित करने पर विचार कर रही है और दूसरा प्रश्न मेरा यह है माननीय अध्यक्ष जी, गौचर में हवाई पट्टी का निर्माण हो चुका है और अभी 8–10 दिन पहले ट्रायल लैंडिंग भी की गयी है क्या सरकार उस पर नियमित लैंडिंग पर विचार कर रही है और यह कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, दूसरे प्रश्न का विभाग ही दूसरा है, यह नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित है। जहाँ तक औली डेस्टीनेशन की बात होती है जहाँ हमारे साउथ इंडियन फेडरेशन के विंटर सेफ गेम होने जा रहे हैं उसके लिए औली को एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित कर रहे है जिसमें हम स्कीइंग का जो कम्पटीशन होगा, उसे करवाएंगे और उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ वो सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, इनका अभी निर्माण कार्य बहुत तीव्रता से चल रहा है। उसके साथ–साथ देहरादून में भी स्कीइंग के लिए आर्टिफिशियल आईस स्कीइंग हॉल बन रहा है। जिसका निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है। लेकिन जहाँ तक उससे जुड़े हुए अन्य पर्यटक स्थलों का प्रश्न है, इन सभी पर्यटक स्थलों का विकास एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। जब–जब हमें प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उनका परीक्षण करते हैं और परीक्षणोपरान्त उसको वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है प्रतिवर्ष और प्रतिवर्ष राज्य सेक्टर या जिला योजना या केन्द्र सहायतित योजना के माध्यम से इनका निर्माण और इनको आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और इनका विकास किया जाता है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पुरूकुल से हाथीपांव और हाथीपांव से लाईब्रेरी तक एक महत्वपूर्ण रोप वे योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है इसके लिए जमीन भी अधिग्रहित कर ली गयी है, लेकिन अभी तक योजना का कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। मान्यवर, नम्बर दो यह है कि यह योजना पूर्व में राजपुर से प्रस्तावित थी जिसमें वहाँ के लोगों द्वारा आपत्ति की गई। इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन दिया था कि इस योजना को चालू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि राजपुर से पूर्व में मसूरी की बसें होते हुए जाया करती थीं लेकिन बाईपास बनने के बाद जो राजपुर के स्थानीय लोग हैं उनके यातायात की सुविधा प्रभावित हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या राजपुर में भी पर्यटन को विकसित करने की कोई योजना है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, धारचूला की ब्यासघाटी, छिपलाकेदार से सीधे पुरकुल गाँव पहुँच गये। चूँकि गणेश जी हैं और गणेश जी तो विघ्नविनाशक हैं, उनका नाम तो लिया ही जाता है। श्रीमन्, मननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी देहरादून मसूरी रोप–वे निर्माणाधीन प्रक्रिया ये गुजर रहा है। इसकी अभी विडिंग प्रक्रिया सम्पादित हो रही है। जब इसकी प्रक्रिया सम्पादित हो जायेगी तब इसके निर्माण की दूसरी प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। हम इसके विषय में गम्भीर है और शीघ्र से शीघ्र ही इसकी कार्यवाही सम्पादित हो, ऐसा प्रयास कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ओखलकाण्डा विकास खण्ड, जनपद नैनीताल में उत्तर भारत का अकेला बृहस्पति भगवान का मंदिर है, वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं और दूसरा जनपद नैनीताल के ही विकास खण्ड ओखलकाण्डा में दो बहुत सुन्दर ताल है, हरिशताल और लोहखामताल लेकिन तीनों स्थान सड़क से लगभग 28–30 मिलोमीटर दूर होने से सुविधाओं से वंचित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इन पर्यटक स्थलों को उत्तराखण्ड के नक्शे में शामिल कर इनका विकास किया जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैंने जैसा कि पूर्व में कहा कि जो पुराने पर्यटक स्थल हैं उनमें उचित आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना, नये पर्यटक स्थलों का चिन्हीकरण करना उनको जो सुविधायें उपलब्ध की जा सकती हैं वह उपलब्ध कराना, उनका प्रचार–प्रसार करना, यह हमारी पर्यटन नीति में सम्मिलित है। मैंने विनम्रतापूर्वक सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि जो भी ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो महत्वपूर्ण हों, उनको हमें अवगत करा दें। आपने अभी जिन पर्यटक स्थलों का जिक्र किया है, हम उनका संज्ञान ले लेते हैं और इनका परीक्षण करवा लेंगे।

श्रीमती आशा–

माननीय अध्यक्ष जी, नैनीताल में तो बहुत सारे ताल हैं, हमारे यहाँ एक ही ताल देवरियाताल है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ताल है, यहाँ पर बहुत पर्यटक आते हैं, यहाँ पर साल भर पर्यटकों का आना जाना रहता है। इस पर्यटक स्थल की आज भी जीर्णशीर्ण स्थिति बनी है। बीच में कुछ कार्य इको डेवलपमेन्ट के माध्यम से वहाँ किया गया था। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि वह कार्य अधूरा क्यों छोड़ा गया ? वहाँ पर पूरा पैसा खर्च क्यों नहीं किया गया और जो योजना वहाँ बनाई गई थी उस योजना के आधार पर वहाँ पर कार्य क्यों नहीं किया गया ? दूसरा माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि रामबाड़ा से केदारनाथ तक रोप–वे का कार्य स्वीकृत हुआ था, सरकार के माध्यम से यह भी कहा गया था कि वहाँ पर रोप–वे बहुत–बहुत जल्दी प्रारम्भ किया जायेगा। लेकिन अभी तक वहाँ पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया और न किसी कार्य के प्रारम्भ होने की वहाँ पर उम्मीद है। मान्यवर, दूसरा चोपता से तुंगनाथ तक रोप–वे स्वीकृत था उस पर भी अभी तक किसी प्रकार की जो निर्माण की कार्यवाही होती है वह प्रारम्भ नहीं हो पाई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस पर क्यों विलम्ब हो रहा है, साथ ही मेरा तीसरा प्रश्न सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से है। मान्यवर, सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने औली को वहाँ पर हिम क्रीड़ा के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करवाया। और अभी हमारे सैफ गेम जो हो रहे हैं, उसके लिए वहाँ पर सैफ गेम की अनुमति हमारे राज्य को मिली और उसमें बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं इसके लिए सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद। लेकिन, मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि जिस चोपता को हर कोई व्यक्ति जाकर उसे मिनी स्वीटजरलैंड की संज्ञा देता है। आज उस चोपता की ऐसी स्थिति बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप प्रश्न करें।

श्रीमती आशा–

जबकि बार–बार इसी सदन के माध्यम से, जनता के माध्यम से, चोपता को भी हिम क्रीड़ा के लिए चयनित किया जाए और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की पर्यटन योजनाओं का निर्माण करवाया जाए। माननीय मंत्री जी, मेरा चौथा प्रश्न यह है कि त्रिजुगीनारायण जो कि बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है वहाँ पर सरकार क्या योजना बनाने जा रही है और उसके साथ सरकार के पास क्या–क्या योजनाएं हैं और उन योजनाओं पर सरकार ने अभी तक क्या–क्या विचार किए हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न सम्बन्धित प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से पुनः अनुरोध करूँगा कि चूँकि यह विषय पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला विकास खण्ड की व्यास घाटी, दारमा घाटी से सम्बन्धित था और यह सीधे रूद्रप्रयाग केदारनाथ वैली तक पहुँच गया। देहरादून भी इसने छू लिया, नैनीताल छू लिया। मेरा विन्रमतापूर्वक सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि जो भी ऐसे पर्यटक स्थल हों, उन्हें आप हमें लिखित रूप में दे दें। उनका हम परीक्षण करवा लेंगे। क्योंकि किस क्षेत्र में कितने पर्यटक जाते हैं, उनमें हम क्या आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, यह सब उसका हिस्सा होता है। इसके साथ–साथ जो मूल विषय इस समय है कि यू0एन0डब्लू0टी0ओ0 ने जो हमको मास्टर प्लान दिया था, उस मास्टर प्लान के आधार पर हम अग्रिम कार्य योजना बना रहे हैं। जिसके आधार पर हम पूरे राज्य को किस तरह से बेहतर टूरिज्म डैस्टिनेशन के रूप में विकसित कर पायें और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं सम्मानित सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी इसी कार्य प्रणाली को देखते हुए और हमारे यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं, उनकी संख्या को देखते हुए तथा हमारी जो अग्रिम पाँच वर्ष की कार्यप्रणाली है, उसको ध्यान में रखते हुए श्रीमन्, इस वर्ष का हमारे राज्य को बहुत महत्वपूर्ण एवार्ड जो मिला है, वह गैलिलियो एक्सप्रेस एवार्ड के माध्यम से हमको बेस्ट डोमैस्टिक टूरिज्म डैस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) तो मान्यवर, इस तरह से हमारी जो दिशा–दृष्टि है, जो हमारी कार्य योजना है, जो कार्यपद्धति है यह उसी का द्योतक है। और इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि राज्य के ऐसे सभी अनछुए पर्यटक स्थल जिनको हम प्रचारित प्रसारित कर सकें, जिनमें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक परेशानी जो हमारे समक्ष आती है, वह वन भूमि को लेकर के आती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि उनके यहाँ जो कतिपय पर्यटक स्थल हैं, जिनके लिए पूर्व में धनराशि स्वीकृति की गई थी लेकिन उस गति से निर्माण कार्य नहीं हो पाता है, उसमें वन भूमि भी कहीं न कहीं आड़े आती है। उसके लिए वन मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से जब तक अनापत्ति न मिले तब तक हम उसके कार्य को सम्पादित नहीं कर पायेंगे।

श्रीमती आशा–

मान्यवर, रज्जू मार्ग।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वह प्रस्तावित है। इसमें भी वन भूमि हस्तांतरण का ही मामला है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न मूल प्रश्न से ही सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष–

मात्र दो मिनट शेष हैं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे, मेरी जिज्ञासा है कि छिपलाकोट क्षेत्र या उसके आस–पास का जो लगता हुआ क्षेत्र है। क्या वह वनवासी क्षेत्र है ? क्या वहाँ पर रहने वाले लोगों की संस्कृति भिन्न है ? क्या सरकार उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए कोई विशेष कार्ययोजना बनायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आधे मिनट में इसका उत्तर दें। क्योंकि अब आधा मिनट ही बचा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अवगत करना चाहता हूँ कि यह वनवासी क्षेत्र नहीं है और न ही क्षेत्रीय रूप में जनजाति क्षेत्र घोषित है। यहाँ रहने वाली जो विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं उनमें से कतिपय जातियाँ जनजातीय जातियों में आती हैं। जिसके कारण यह जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है और इसीलिए इस पर हमारा विशेष ध्यान रहता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

राजकीय चिकित्सालयों में नियमित चिकित्सा सुविधाएं

01–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री विधान सभा के प्रश्न सत्र 2008 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–01 के उत्तर के सन्दर्भ में अवगत करायेंगे कि इन चिकित्सालयों में नियमित एवं व्यवस्थित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उसके परिणाम क्या हैं ?

क्या यह भी सत्य है कि उक्त चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट और चिकित्साधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हाँ, तो अब तक रिक्त पदों को भरने की दिशा में की गई कार्यवाही का विवरण क्या है तथा कब तक सभी रिक्तियों को भर दिया जायेगा ?

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या–11 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नितान्त अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को 01 (एक) वर्ष या राज्य लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती द्वारा एलोपैथिक चिकित्सक उपलब्ध होने तक (जो भी तिथि पूर्व हो) संविदा पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु चिकित्सक/फार्मासिस्ट की व्यवस्था की गई है।

जी हाँ।

चिकित्सकों के पद आयोग की परिधि के अन्तर्गत आते हैं। नियमित रूप से रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है। चिकित्सकों की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत संविदा पर चिकित्सकों की तैनाती की कार्यवाही गतिमान है। फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही यथाशीघ्र कर ली जायेगी।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत लम्बे समय से कार्यरत चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति

02–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने क कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन से चिकित्साधिकारी एवं अन्य कर्मचारी हैं जो एक ही स्थान पर दस वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि से कार्यरत हैं ?

तथा इनको अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 03–चिकित्साधिकारी, 25–फार्मासिस्ट, 122–स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, 52–स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष, 32–स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरूष, 16–स्वास्थ्य निरीक्षक, 03–प्रवर सहायक, 01–कनिष्ठ सहायक, 04–अन्वेशक कम संगणक, 04–वाहन चालक, जो एक ही स्थान पर दस वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि से कार्यरत हैं।

कार्मिक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष, वार्षिक स्थानान्तरण नीति निर्गत की जाती है। उसी के अनुरूप विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत विभाग स्थानान्तरण करता है।

प्रदेश के फार्मासिस्टों के स्वीकृत, रिक्त, कार्यरत पदों का विवरण

03–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में फार्मासिस्ट के कितने पद स्वीकृत हैं और उनके सापेक्ष कितने पदों पर फार्मासिस्ट कार्यरत हैं

तथा रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति किए जाने की सम्भावना है ?

क्या यह भी सत्य है कि फार्मासिस्ट के रिक्त पदों के कारण चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा समस्या के स्थायी समाधान हेतु क्या योजना कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

फार्मासिस्टों के स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत है :–

स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1288	1217	71

यथाशीघ्र।

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मापदण्ड

04–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मापदण्ड क्या हैं ?

क्या सरकार मापदण्ड पूरे करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम जनसंख्या 20 हजार तथा मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम जनसंख्या 30 हजार होनी आवश्यक है।

जी हाँ। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर तैनाती

05—श्रीमती अमृता रावत—

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत राजकीय महिला चिकित्सालय नौगाँवखाल और पोखड़ा, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुर, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय कोटा महादेव, थापला, गवाणी तथा बेदीखाल में चिकित्सक तथा फार्मासिस्ट के पद रिक्त चले आ रहे हैं ?

यदि हाँ, तो इन चिकित्सालयों में नियमित रूप से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है

और कब तक इन चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं फार्मासिस्टों की तैनाती किए जाने की सम्भावना है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

कुछ पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों को नियमित रूप से भरने की कार्यवाही के साथ—साथ वाक—इन इन्टरव्यू के माध्यम से संविदा पर चिकित्सक रखने की कार्यवाही गतिमान है। इस प्रकार उक्त चिकित्सालयों में 01 एलोपैथिक चिकित्सक, 02 आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं 01 फार्मासिस्ट (आयुष विंग) संविदा पर तथा 01 नियमित फार्मासिस्ट तैनात किये गये हैं।

यथाशीघ्र उपलब्ध होने पर।

06—श्रीमती अमृता रावत—

मा0 लोकलेखा समिति के विचाराधीन होने पर निरस्त।

राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मासिस्ट द्वारा शैड्यूल 'के' के अन्तर्गत औषधीय निर्देशन

07—श्रीमती अमृता रावत—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मासिस्ट औषधीय निर्देशन करने के लिए अधिकृत हैं ?

यदि हाँ, तो प्रदेश में कितने राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय हैं जिनमें चिकित्साधिकारी कार्यरत नहीं हैं ? इन चिकित्सालयों में औषधीय निर्देश किसके द्वारा किया जाता है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली, 1945 के अधीन शैड्यूल 'के' के अन्तर्गत आने वाली औषधियों का निर्देशन फार्मासिस्ट कर सकता है।

वर्तमान में 218 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी कार्यरत नहीं हैं, इनमें कतिपय स्थानों पर समीपस्थ चिकित्सालय के चिकित्सक व कहीं पर शैड्यूल 'के' के अन्तर्गत फार्मासिस्टों द्वारा औषधीय निर्देशन किया जाता है।

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड यमकेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण में विलम्ब

08—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था पर पेनाल्टी की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या भवन निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

निर्माण स्थल पर सहमति बनने में विलम्ब के कारण कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं हो सका।

जी नहीं।

स्थल चयन में समय लगने के कारण विलम्ब हुआ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन हेतु योजनाएं तथा वित्तीय स्वीकृति

09—श्रीमती अमृता रावत—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में मंदिरों के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास की ऐसी कौन—कौन सी स्वीकृत योजनाएं हैं, जिनके निर्माण हेतु अभी तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है ?

क्या यह सत्य है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत/निर्माणाधीन योजनाओं के लिए अभी तक अवशेष धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है ?

यदि हाँ, तो इन स्वीकृत योजनाओं और स्वीकृत धनराशि का विवरण क्या है तथा कब तक इन योजनाओं का निर्माण पूर्ण करवाए जाने हेतु अवशेष/स्वीकृत धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वीकृत मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास की सभी योजनाओं में वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

जी नहीं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वीकृत जिन–जिन योजनाओं में पूर्व में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रणाण–पत्र प्राप्त हो रहे हैं उनसे सम्बन्धित अवशेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

कुल 542 योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 11909.85 लाख में से रु0 8425.39 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा रु0 3484.46 लाख की धनराशि अवशेष है।

जिन–जिन योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो रहे हैं उनसे सम्बन्धित स्वीकृत अवशेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

जनपद पौड़ी के स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों के सम्बद्धीकरण विषयक

10–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में ऐसी अनेक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्री (ए0एन0एम0) हैं जो वर्षों से अपने मूल नियुक्ति वाले उपकेन्द्रों में कार्यरत न रहकर सुविधाजनक स्थानों पर सम्बद्ध चली आ रही हैं ?

यदि हाँ, तो ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों (ए0एन0एम0) के मूल नियुक्ति स्थानों, सम्बद्धीकरण स्थानों और सम्बद्धीकरण अवधि का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इनके सम्बद्धीकरण को समाप्त कर इन्हें इनके मूल नियुक्ति वाले स्थानों पर कब तक तैनात कर दिया जाएगा ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बागेश्वर में सरयू नदी पर झील बनाने की योजना

11–श्री चन्दन रामदास–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों पर झील बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बागेश्वर नगर में सरयू नदी पर झील बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

नदियों पर झील बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी के लिए गंगा दर्शन मोड़ से क्यूंकालेश्वर मन्दिर तक प्रस्तावित रोपवे

12–श्री यशपाल बेनाम–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पौड़ी के लिए गंगा दर्शन मोड़ से क्यूंकालेश्वर मन्दिर तक प्रस्तावित रोपवे के निर्माण की प्रगति क्या है ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

क्यूंकालेश्वर मन्दिर तक रोपवे के निर्माण के प्रस्ताव में आबादी–क्षेत्र प्रभावित होने के कारण रोपवे को गंगा दर्शन मोड़ श्रीनगर से श्रीनगर रोड़, पौड़ी, (निकट उद्यान विभाग कार्यालय) तक बनाये जाने का प्रस्ताव है। उक्त परियोजना की तकनीकी सर्वेक्षण रिर्पोट तक डी0पी0आर0 तैयार की जा चुकी है। परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हीकरण भी किया जा चुका है तथा वर्तमान में भूमि के हस्तान्तरण/अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता है।

17 मई, 1990 के बाद आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों का वेतन निर्धारण एवं नियमितीकरण

13–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत 1987 से 17–05–1990 तक के तदर्थ रूप से देतनमान 8000–13500 पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों का विनियमितीकरण कर दिया गया है ?

क्या यह सत्य है कि वर्ष 17–05–90 के पश्चात् वर्तमान में वेतनमान रु0 8000–13500 में तदर्थ रूप से वेतनमान रु0 8000–13500 पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को अभी तक विनियतीकरण नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त चिकित्साधिकारियों का कब तक विनियमितीकरण कराना सुनिश्चित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

प्रश्नगत अवधि में कार्यरत समस्त तदर्थ नियुक्त चिकित्साधिकारियों, तत्समय जिनके आवश्यक अभिलेख उपलब्ध थे, का विनियमितीकरण किया जा चुका है। केवल 02 चिकित्साधिकारियों के अभिलेख उ0प्र0 राज्य से उपलब्ध न होने के कारण विनियमितीकरण नहीं किया जा सका।

जी नहीं। प्रश्न अवधि के तदर्थ चिकित्साधिकारियों, तत्समय जिनके आवश्यक अभिलेख उपलब्ध थे, का विनयमितीकरण किया जा चुका है। यह उल्लेखनीय है कि 02 आयुर्वेदिक चिकित्साध्धिकारियों के सेवा अभिलेख पूर्ण न होने के कारण तत्समय विनियमितीकरण नहीं किया जा सका है तथा 04 आयुर्वेदिक एवं 02 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों का उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2002 की परिधि में न आने के कारण विनियमितीकरण नहीं किया जा सका।

नियमानुसार विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र बीरोंखाल अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी एवं फार्मासिस्टों की तैनाती

14–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी उत्तराखण्ड को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्रांक 1069/विधायक/4–स्वास्थ्य/2008–09 दिनांक 01 अगस्त, 2008 के साथ विधान सभा क्षेत्र बीरोखाल के अन्तर्गत स्थापित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण प्राप्त हुआ है?

रिक्त पदों पर तैनाती करने/करवाने की दिशा में अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है ?

तथा कब तक रिक्त पदों पर तैनाती कर दी जायेगी ?

क्या निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी उत्तराखण्ड के द्वारा उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई है ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत कुल 08 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित हैं, जिनमें 05 चिकित्सालयों में 05 आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी एवं 03 चिकित्सालयों में 03 फार्मासिस्ट तैनात हैं। अन्य 03 चिकित्सालयों में वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को अतिरिक्त कार्य के रूप में तैनात किया गया।

चिकित्सकों/फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति यथाशीघ्र की जायेगी, उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र धारचूला अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तैनाती

15–श्री गगन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/राजकीय एलोपैथिक केन्द्रों/चिकित्सालयों में कितने चिकित्सक वर्तमान में कार्यरत हैं तथा कितने केन्द्रों में चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं ?

क्या सरकार चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने हेतु कोई ठोस कदम उठा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत स्थापित 02–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 10–राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों, 01–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 02–अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 35 चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं। जिनके विरूद्ध 08 चिकित्सक (संविदा चिकित्सकों को सम्मिलित करते हुए) कार्यरत हैं। 11 केन्द्रों में चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं।

जी हाँ।

चिकित्सकों के पद आयोग की परिधि के अन्तर्गत आते हैं। रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। चिकित्सकों की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत संविदा पर चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2007–08 में प्रत्येक विधायक को 20–20 लाख रुपये का प्रस्तावानुसार धनावंटन

16–श्री केदार सिंह रावत–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि उनके द्वारा वर्ष 2007–08 में प्रत्येक विधायक को 20–20 लाख रुपये की योजना के प्रस्ताव देने का लिखित आग्रह किया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावानुसार माननीय विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृत धनावंटन किया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में 34 योजनाओं के प्रस्ताव/आगणन पर्यटन विभाग को प्राप्त हुए जिन पर वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्‌गार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस सम्मानित सदन को ये सूचित करते हुए अत्यन्त दुख हो रहा है कि भारत वर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का निधन 27 नवम्बर, 2008 को लम्बी बीमारी के पश्चात् दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हो गया है। श्रीमन्, इस देश की जनता जानती है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जिन्होंने अपने 77 वर्ष के जीवन को सही मायने में क्षण–प्रतिक्षण जिया है, उनका राजनैतिक जीवन सत्यनिष्ठा और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता तथा राजनैतिक साहस से ओत–प्रोत रहा। श्रीमन्, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जन्म 25 जून, 1931 को इलाहाबाद में हुआ था और जैसाकि हम सब जानते हैं कि इलाहाबाद विद्या की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमि कही जाती है और न केवल विद्या अध्ययन की दृष्टि से वरन इलाहाबाद की मिट्‌टी में देश की अनेकों महान विभूतियां पली और बढ़ी हैं। उन्हीं में से एक स्व0 विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, जिनके पिता श्री राज बहादुर राम गोपाल सिंह जी थे। इन्होंने इलाहाबाद और पूणे विश्वविद्यालय से बी0ए0, एल0एल0बी0 तथा बी0एस0सी0 की शिक्षा

प्राप्त की। 25 जून, 1955 में आपका विवाह श्रीमती सीता सिंह जी के साथ हुआ। बाल्यकाल से लेकर छात्र जीवन तक इनके अन्दर जो देश प्रेम का भाव कूट-कूट कर भर रहा था, उसी के माध्यम से आपके जो राजनैतिक जीवन की शुरूआत हुई है वह नेहरू युग के माध्यम से हुई है। उसके पश्चात् आप अपने राजनैतिक जीवन में निरन्तर एक से दूसरे पायदान, दूसरे से तीसरा पायदान चढ़ते चले गये। शुरूआत आपकी वर्ष 1969 से हुई तब आप कांग्रेस के टिकट से उत्तर प्रदेश विधान सभा में सदस्य निर्वाचित हुए। उसके पश्चात् वर्ष 1980-81 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में और वर्ष 1981 से 1983 तक फिर से विधान सभा सदस्य और 1971 में वे पांचवी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उसके बाद वे सातवीं, नौवी और दसवीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्रीमन्, अपने सम्पूर्ण जीवन में आपने अनेकों महत्वपूर्ण पदों का दायित्व निर्वहन किया। आपने वर्ष 1980 से 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी निर्वहन किया। यह कार्यकाल आपका इसलिए भी जाना जाता है कि आपने उत्तर प्रदेश की जो सबसे भीषण समस्या थी वह थी दस्यु समस्या, यानी डाकुओं की समस्या थी। उस समय पूरा उत्तर प्रदेश त्राहि-त्राहि करता था और विशेष तौर पर बुन्देलखण्ड और बिहार से लगा हुआ क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। उस समस्या के निदान के लिए आप पहचाने जाते हैं। श्रीमन्, ये आपकी पहचान है। दस्यु उन्मूलन के लिए और इसके साथ-साथ श्रीमन्, आपने केन्द्र सरकार में वित्त, वाणिज्य और रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन भी किया। 2 दिसम्बर, 1989 में भारत के दसवें प्रधानमंत्री के रूप में आपने कार्यभार सम्भाला था और वह कार्यकाल आपका 10 नवम्बर, 1990 तक रहा था। श्रीमन्, एक और पक्ष श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ जुड़ा है। श्रीमन्, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे और संवेदनशील व्यक्ति के नाते आपका जो भाव है वो आपकी कविताओं में प्रकट होता है। कविताओं के साथ-साथ आप चित्रकला में भी पारंगत थे। अपनी चित्रकला और कला की अनेकों ऐसी अविस्मरणीय कृतियाँ छोड़ करके आप इस भारत भूमि को छोड़कर चले गये। हम सब लोग और इस देश के वासी निश्चित रूप से आपको खो करके आपकी अपूरणीय क्षति को महसूस करते हैं और इस सदन के माध्यम से अपनी भावनाएँ आपके शोकाकुल परिजनों को पहुँचाना चाहते हैं कि आपकी आत्मा को शांति प्रदान करें और परमात्मा से यह निवेदन करते हैं कि आपके शोकाकुल परिवार को और इस देश को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष–

और कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहता है ?

*श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने निधन के संदेश के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के निधन पर एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्ताव रखा है। राजा माण्डा के रूप में जाने जाने वाले देश के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जन्म 1931 में इलाहाबाद में हुआ। उनकी शिक्षा–दीक्षा भी इलाहाबाद में हुई है। जैसाकि विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम पूरे देश में मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। जब से मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू हुई तब से प्रदेश में अगड़े–पिछड़े जाति के संघर्ष और उनके उत्थान की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है वह विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कार्यकाल में हुई है। एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय जो मण्डल आयोग के रूप में लागू किया गया उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ही अग्रणी नेता के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपने पर्वतीय क्षेत्र के विकास में भी काफी कार्य किए। मुझे बागेश्वर में उनके दो दिन के प्रवास का सानिध्य मिला है। उन्होंने पूरे उत्तरांचल में, जब यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, यहाँ विकास की किरणें बहुत कम हुआ करती थीं, उन्होंने यहाँ काफी विकास कार्य किये। वे एक ऐसे नेता के रूप में रहे जो संवेदनशील, सह्रदय और गरीबों की मदद करने वाले हुए हैं। उनके निधन से हमारे देश में एक प्रगतिशील नेता हमने खोया है। मैं इस अवसर पर उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ और भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि इस दुःख की घड़ी में उनके शोक संतप्त परिवार को बरकत दें और अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय चन्दन राम दास जी तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा जो विचार प्रकट किये गये हैं मैं उनसे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ और निश्चित रूप से स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के निधन से जो क्षति पूरे देश में हुई है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सामाजिक न्याय के विरूद्ध, न्याय के सम्बन्ध में जो उन्होंने आवाज उठाई, जो संघर्ष किया और जो उन्होंने राजनीतिक जीवन में सत्य, निष्ठा और अन्याय के लिए लड़ाई लड़ी और समाज के उस वर्ग के लिए जो किसी भी रूप में चाहे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उसके लिए जो संघर्ष रहा निश्चित रूप से अविस्मणीय है। जो भावनाएं माननीय सदस्यों ने और माननीय मंत्री जी ने यहाँ वक्त की हैं उनसे मैं अपने आप को सम्बद्ध करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून, 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राजा बहादुर राम गोपाल सिंह था। उन्होंने इलाहाबाद व पूणे विश्वविश्वविद्यालय से बी0ए0, एल0एल0बी0 तथा बी0एस0सी0 तक शिक्षा प्राप्त की। उनका विवाह 25 जून, 1955 को श्रीमती सीता सिंह से हुआ। अपने राजनीतिक जीवन में सत्यनिष्ठा, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता तथा राजनैतिक साहसिकता उनकी विशेषता रही। श्री सिंह ने नेहरू युग में अपने राजनैतिक जीवन की शुरूआत इलाहाबाद से की, उसके पश्चात् वे राजनैतिक जीवन मे निरन्तर आगे बढ़ते चले गये। वे सर्वप्रथम 1969 में कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1980 से 81

तक वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् तथा वर्ष 1981 से 1983 तक पुनः उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वर्ष 1971 में वे पांचवी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा सातवीं, नौवीं व दसवीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। वर्ष 1983–1988 में स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य सभा के सदस्य रहे। श्री सिंह ने अनेकों महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1980 से 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व भी सम्भाला। वर्ष 1974 से 1977, तथा वर्ष 1983 से 1987 तक उन्होंने केन्द्र सरकार के वित्त, वाणिज्य व रक्षा मंत्रालयों के साथ–साथ अन्य मंत्रालयों का दायित्व भी सफलतापूर्वक निभाया। 2 दिसम्बर, 1989 को श्री सिंह भारत के दसवें प्रधानमंत्री बने। उनका यह कार्यकाल 10 नवम्बर, 1990 तक रहा। विलक्षण बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री सिंह ने कविताओं तथा चित्रकला के माध्यम से अपने विचारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति की। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल मंडल आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए दस्यु उन्मूलन के क्षेत्र में उनका योगादन उल्लेखनीय रहा। वर्ष 1988 में जनता दल के गठन में वे संस्थापक सदस्य थे। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह लम्बे समय से अस्वस्थ थे। उनका निधन दिनांक 27 नवम्बर, 2008 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हुआ। उनका अंतिम संस्कार दिनांक 29 नवम्बर, 2008 को इलाहाबाद में गंगा नदी के तट पर हुआ। श्री सिंह के परिवार में दो पुत्र हैं। आज चूँकि स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे बीच में नहीं है, हम उन्हें सदन की ओर से श्रद्धांजली अर्पित करते हैं और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि कृपया खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करके उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(दो मिनट का मौन रखा गया)

वर्ष 2007–08 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्ष 2007–08 का सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8(3) के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्ष 2007–08 का सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सभापति लोक लेखा समिति का नाम पुकारे जाने पर माननीय सभापति समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं थीं)।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सभापति लोक लेखा समिति का नाम पुकारे जाने पर माननीय सभापति समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं थीं)।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सभापति लोक लेखा समिति का नाम पुकारे जाने पर माननीय सभापति समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं थीं)।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सभापति लोक लेखा समिति का नाम पुकारे जाने पर माननीय सभापति समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं थीं)।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सभापति आश्वासन समिति का नाम पुकारे जाने पर माननीय सभापति समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं थे)।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सभापति आश्वासन समिति का नाम पुकारे जाने पर माननीय सभापति समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं थे)।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सभापति आश्वासन समिति का नाम पुकारे जाने पर माननीय सभापति समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं थे)।

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर याचिका उपस्थित करने के लिए माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)।

जनपद उत्तरकाशी में श्री हरि महाराज–हरौन्ता बुग्याल, नचिकेता ताल, नांगणी ठांग पर्यटन महायोजना की स्वीकृति के सन्दर्भ में याचिका

*श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी में श्री हरि महाराज–हरौन्ता बुग्याल, नचिकेता ताल, नांगणी ठांग पर्यटन महायोजना की स्वीकृति के सन्दर्भ में" श्री दिनेश नौटियाल पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद, ग्राम व पो0 मानपुर, जिला उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी में बकरया टॉप पर्यटन क्षेत्र के विकास के सन्दर्भ में याचिका

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी में बकरया टॉप पर्यटन क्षेत्र में विकास के सन्दर्भ में" श्री अमर सिंह राणा पुत्र श्री धन सिंह राणा ग्राम गोरसाली टकनौर वि0क्षे0 भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद उत्तरकाशी के बेलख जौराई–कुशकल्याण सहस्त्रताल ट्रैकिंग/यात्रा मार्ग के निर्माण के सन्दर्भ में याचिका

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी में बेलख जौराई–कुशकल्याण सहस्त्रताल ट्रैकिंग/यात्रा मार्ग के निर्माण के सन्दर्भ में" श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री धरम सिंह ग्राम सालू मटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी में ग्राम साड़ा बाड़ागड्डी में इन्द्रावती नदी पर पैदल पुल निर्माण के सन्दर्भ में याचिका

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी में ग्राम साड़ा बाडागड्डी में इन्द्रावती नदी पर पैदल पुल निर्माण के सन्दर्भ में" श्री रमेश प्रजापति पुत्र श्री विमल कुमार ग्राम साड़ा, पो0 मानपुर, जिला उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक के ग्राम सभा नत्थनपुर के विवेकानन्द ग्राम फेज–2, स्ट्रीट नं0–4 में बिजली के टेढ़े–मेढ़े खम्भों एवं झूलते हुए तारों को ठीक करने के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती आशा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक के ग्राम सभा नत्थनपुर के विवेकानन्द ग्राम फेज–2 स्ट्रीट नं0–4 में बिजली के टेढ़े–मेढ़े खम्भों एवं झूलते हुए तारों को ठीक करने के सम्बन्ध में" श्री एम0एस0 नेगी, विवेकानन्द ग्राम फेज–2 स्ट्रीट नं0–4 नत्थनपुर देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्रीमती आशा नौटियाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री खजान दास तथा श्री ओम गोपाल रावत की कुल 04 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्रीमती आशा नौटियाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा श्री खजान दास की सूचना नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के ऊखीमठ विकास खण्ड में ग्राम गैड़ गडगू, वरूवा, मौण्डार रांसी, उनियाणा, राऊलैंक, कुणजेठी, व्यंखी, जालमल्ला, चौमासी, चिलोण्ड, त्रियुगी नारायण, तोषी आदि गाँव की, सेन्चुरी वन अधिनियम के भीतर आने के कारण मूलभूत सुविधाओं की स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा–

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा केदारनाथ में उन गाँवों की ओर लाना चाहती हूँ जो वन अधिनियम सेन्चुरी क्षेत्र के अधीन लिए जाने के कारण विकास से आज भी कोसों दूर रह कर अपना जीवन–यापन कर रहे है। मान्यवर, ऊखीमठ विकास खण्ड में ग्राम गैड गडगू, वरूवा, गौण्डार, रांसी, उनियाणा, राऊलैंक, कुणजेठी, व्यूंखी, जालमल्ला, चौमासी, चिलोण्ड, त्रियुगीनारायण, तोषी आदि गाँव सेन्चुरी वन अधिनियम के भीतर आने के कारण अपनी मूलभूत सुविधाओं की तालाश में जूझ रहे हैं। मान्यवर, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं से आज भी ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई बार शासन तथा प्रशासन से इन गाँवों को अधिनियम से मुक्ति दिलाने तथा पुनः सीमांकन करने का आग्रह जनता करती रही है लेकिन इस दिशा में किसी प्रकार की कार्यवाही न होने से ग्रामीणों में अत्यन्त रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर कार्यवाही की माँग करती हूँ।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त उच्चाकोट पम्पिंग पेयजल योजना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत उच्चाकोट पम्पिंग पेयजल से लाभान्वित होने वाले गाँवों में कई महीनों से पेयजल संकट बना हुआ है। कभी आंशिक पेयजल आपूर्ति होती है। पेयजल योजना जगह–जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मुख्य टैंक तक पम्पिंग से पानी नहीं पहुँच पा रहा है। जिससे ग्रामवासी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा कई बार जल निगम के अधिकारियों को इस विषय में जानकारी दी गई है लेकिन विभाग के द्वारा जलापूर्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः जनहित में उच्चकोट पम्पिंग पेयजल योजना के पुनर्गठन (मरम्मत) हेतु धन स्वीकृत करने हेतु सदन का ध्यानाकर्षित करते हुए प्रबल कार्यवाही की माँग करती है।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद टिहरी गढ़वाल वि0ख0 जौनपुर एवं विकास खण्ड थौलधार के सामूहिक तोक टरू में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खजान दास–

मान्यवर, मेरी विधान सभा धनौल्टी के वि0ख0 जौनपुर एवं थौलधार के सामूहिक तोक टरू में दोनों विकास खण्डों के लगभग 50 से अधिक परिवार स्थाई रूप से निवास करते हैं तथा आज भी विद्युत जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। टरू वासियों द्वारा विद्युतीकरण की मांग लम्बे समय से की जा रही है तथा मेरे द्वारा भी स्वयं टरू में विद्युतीकरण किये जाने हेतु कई बार मांग की गई है किन्तु अब तक भी टरू के लगभग 50 से अधिक परिवारों को विद्युतीकरण किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। विद्युतीकरण की मांग आम आदमी की मूलभूत आवश्यकता के अन्तर्गत होने के कारण भी इस पर कोई कार्यवाही न होना एक चिन्ताजनक विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर शीघ्रता से कार्यवाही की मांग की जाती है।

माननीय सदस्य के त्याग–पत्र की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को सूचना दे रहा हूँ–

क्योंकि जनपद बागेश्वर 42–कपकोट विधान सभा क्षेत्र से श्री भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखण्ड विधान सभा के सदस्य चुने गये थे,

और चूँकि उक्त श्री भगत सिंह कोश्यारी ने दिनांक 07 दिसम्बर, 2008 को विधान सभा की सदस्यता से त्याग–पत्र दे दिया है,

और चूँकि अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा ने श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिये गये त्याग–पत्र को दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 पूर्वाह्न से स्वीकार कर लिया है,

अतः श्री भगत सिंह कोश्यारी का स्थान उत्तराखण्ड विधान सभा में दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से रिक्त हो गया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी के राज्य सभा में निर्वाचित होने पर बधाई

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे और इस राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखण्ड की जनता की सेवा कर चुके श्री भगत सिंह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोश्यारी जी के त्याग–पत्र की सूचना आपके माध्यम से दी गयी। हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमने अपने प्रतिनिधि के रूप में माननीय श्री कोश्यारी जी को लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च सदन राज्य सभा में निर्वाचित करके भेजा है और इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ भेजा है कि उत्तराखण्ड राज्य की ऐसी समस्याएं, जिनके सम्बन्ध में भारत सरकार से दिशा–निर्देश प्राप्त हो सकें, उनका समाधान हो सके और चूँकि माननीय श्री कोश्यारी जी, जिन्होंने इस राज्य के गठन से लेकर अनवरत इस सदन की सेवा की, इस सदन के कार्य संचालन में उन्होंने अनवरत प्रयास किया। श्रीमन्, कोश्यारी जी, जिनका जन्म आजादी से 5 वर्ष पूर्व 17 जून, 1942 को एक ऐसे छोटे से दूरस्थ गाँव में हुआ था जहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज आजादी के 60 वर्ष बाद भी देखने में आता है। ग्राम खेमला, नामती चेटाबगड़, यह गाँव बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद की सीमा पर हैं। इतने दूरस्थ क्षेत्र में रहते हुए भी आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अल्मोड़ा डिग्री कालेज से आपने अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आपने छात्र राजनीति से राजनीति में पदार्पण किया था। माननीय कोश्यारी जी उस समय छात्र संघ के महासचिव के पद पर निर्वाचित हुए थे और आपके इस कार्यकाल को भी आपके समकालीन लोग आज भी याद करते हैं। आपने आजीवन इस क्षेत्र की ही नहीं, पूरे देश के जनसामान्य की सेवा करने का व्रत लिया और आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया और आज भी आप अविवाहित हैं। श्रीमन्, मेरा व्यक्तिगत संपर्क उनके साथ हुआ और मुझे राजनीति में लाने में जिन महत्वपूर्ण लोगों का योगदान है, उनमे माननीय कोश्यारी जी भी एक है। 1997 में आप विधान सभा परिषद्, उत्तर प्रदेश के सदस्य निर्वाचित हुए थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी आपने 1997 से 2000 तक विधान परिषद् की सेवा की और महत्वपूर्ण दायित्वों में आप रहे, आश्वासन समिति के सदस्य और नियम समिति के सदस्य रहे। जब 1998 में निर्वाचित होकर मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में गया तो जो सामान्य जानकारियां विधान परिषद् सदन की होती थीं, उनमें भी माननीय कोश्यारी जी ने ही मुझे मार्गदर्शन दिया।

निश्चित रूप से मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस महत्वपूर्ण जिजीविषा के साथ इस क्षेत्र की सेवा की है, उसी अपेक्षा और आकांक्षा के साथ उत्तराखण्ड के इस 70 सदस्यीय विधान सभा ने अपनी आस्था और विश्वास उन पर प्रकट करते हुए राज्य सभा में निर्वाचित करके भेजा है। जिस तरह से वह प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की हैसियत से, राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत से, इस क्षेत्र की समस्याओं का बहुत पुरजोर तरीके से निदान करने में सक्षम हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी भांति वह राज्य सभा सदन में भी इस उत्तराखण्ड राज्य के विषयों को लेकर मार्गदर्शन करेंगे। जब–जब कठिन समय आता था और किसी प्रकार का गतिरोध सामने आता था, तो मुझे याद आ रहा है कि उनके माध्यम से उस गतिरोध को दूर करने का कार्य किया जाता था। निश्चित रूप से

हमें तो कमी खलेगी ही, क्योंकि आज भी गतिरोध है। आज याद आ रही थी कि अगर कोश्यारी जी यहाँ होते तो वह सम्भवतया प्रतिपक्ष के पास पहुँच गये होते। मान्यवर, और जा करके उनको मना करके यहाँ पर ले आते। उस दायित्व को भी अभी अब माननीय फोनिया जी हैं सम्भवतः वे निभाएंगे। (हंसी) क्योंकि उस महत्वपूर्ण दायित्व को जो एक बुजुर्ग का आर्शीवाद रहता है उसको निभाने के लिए निश्चित रूप से उसकी कमी तो हमें खलेगी ही, लेकिन चूँकि राज्य को आज आवश्यकता थी कि वो इस राज्य की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, यहाँ की आवाज को राज्य सभा में सबल और सक्षम तरीके से उठाने के लिए समर्थ जनप्रतिनिधि को भेजें, इसलिए उन्हें राज्य सभा में भेजा गया है। इसके लिए मैं उनको इस सदन के माध्यम से बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से उनके दिखाये हुए मार्ग पर हम अग्रसर होंगे।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ। सचमुच वे बधाई के पात्र हैं। माननीय कोश्यारी जी के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा और इस समय माननीय कोश्यारी जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, तो मैं आपको बधाई इस बात के लिए देता हूँ कि आपने माननीय कोश्यारी जी के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा, इस भाषण को आपने माननीय विश्वानाथ प्रताप सिंह के भाषण से लिंक नहीं किया, इस बात के लिए मैं आपको बहुत–बहुत बधाई देता हूँ। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रकाश पन्त जी, माननीय केदार सिंह फोनिया जी ने अपनी–अपनी तरफ से अपने वरिष्ठ सदस्य माननीय कोश्यारी जी के राज्य सभा में निर्वाचित होने के लिए उन्हें बधाई दी है। निश्चित रूप से कोश्यारी जी, जो कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आम व्यक्ति से उनकी भावनाएं हमेशा जुड़ी रहती हैं, उनकी कमी हमें इस सदन में तो जरूर खलेगी परन्तु जिस उद्देश्य को लेकर, जिस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए हम सब ने उन्हें यहाँ से राज्य सभा के लिए निर्वाचित किया है। हम आशा करते हैं कि प्रदेश के विकास के लिए, यह भी नवगठित प्रदेश है तो निश्चित रूप से यहाँ की समस्याएं यह पहाडी प्रदेश है, यहाँ की समस्याएं भी हैं और उन समस्याओं को जिस तत्परता से, मजबूती से कोश्यारी जी रख सकते हैं शायद कोई और नहीं रख सकता है। तो एक नेक उद्देश्य के लिए, एक अच्छे उद्देश्य के लिए यहाँ से निर्वाचित होकर राज्य सभा में हमने उन्हें भेजा है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और निश्चित रूप से उनका लाभ व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक क्षेत्र में तो मिलेगा ही मिलेगा, परन्तु हमारे प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा। मैं सदन में व्यक्त की गयी सभी भावनाओं को माननीय श्री कोश्यारी जी के पास उन्हें भेज दूँगा। इस बधाई संदेश को मैं माननीय राज्य सभा सदस्य को भेज दूँगा।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के प्रथम शुक्रवार, दिनांक 06 जुलाई, 2007 को श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–02 के उत्तर में संसदीय कार्य मंत्री का शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के नियम–162 के अन्तर्गत शोधन वक्तव्य से सम्मानित सदन को मैं अवगत करा रहा हूँ। विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 को प्रथम शुक्रवार दिनांक 06 जुलाई, 2007 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–02 का जो मूल प्रश्न था, उसमें शोधन वक्तव्य सदन के समक्ष रख रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर
[02. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार स्थित फैक्ट्रियों को श्रमिक कानून के उल्लंघन तथा श्रमिकों के शोषण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का श्रम मंत्री/जिलाधिकारी हरिद्वार/सहायक श्रम आयुक्त को सम्बोधित पत्र दिनांक 30–04–2007 प्राप्त हुआ है ?	जी नहीं।	जी हाँ।

यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?	प्रश्न नहीं उठता	कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

बिन्दु क्रमांक	प्रश्न/अपेक्षित सूचना	उत्तर/आख्या
1.	समस्त फैक्ट्री मालिकों द्वारा अपने ठेकेदारों के द्वारा ठेके प्रथा के अनुसार बेरोजगार युवकों को नौकरी दी जा रही है। फैक्ट्री (कम्पनी) के द्वारा नौकरी नहीं दी जा रही है।	जनपद हरिद्वार में दिनांक 15–5–07 तक निरीक्षण टीमों द्वारा समय–समय पर किये गये सामूहिक निरीक्षणों के अनुसार फैक्ट्री मालिकान द्वारा अधिकतर सीधे श्रमिक नियोजित कर कार्य कराया जा रहा है। निरीक्षण/सर्वेक्षण दलों की सूचना के अनुसार जनपद हरिद्वार में 21535 सीधे नियोजित श्रमिकों के विरूद्ध ठेके पर नियोजित श्रमिकों की संख्या 8975 है।
2.	मिल मालिकों से मिलीभगत कर ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम का उल्लंघन कर मात्र 1800 से 2000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मजदूरी देकर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है।	गढ़वाल क्षेत्र के लिए गठित निरीक्षण दल द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत 43 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाये जाने पर 15 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध निर्देशवाद दायर किये गये तथा 20 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध उपशमन की कार्यवाही की गयी।

		3.	फैक्ट्री मालिकों द्वारा 8 घण्टे के स्थान पर 12 घण्टे या 14 घण्टे काम लेकर शोषण किया जा रहा है।	निर्धारित कार्य के घण्टों के अतिरिक्त कार्य लिए जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण टीम द्वारा न्यूनतम वेतन संदाय अधिनियम के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में निरीक्षण किये गये, जिसमें 6 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध इन अधिनियमों के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में वैधानिक कार्यवाही की गयी।
		4.	फैक्ट्री में फैक्ट्री एक्ट का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। I–फैक्ट्री एक्ट के अनुसार एक मजदूर से एक सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकता है। जबकि बहुत अधिक समय तक काम कराया जा रहा है।	कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत जनवरी 2007 से सितम्बर, 2007 तक जनपद हरिद्वार में 59 कारखानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें एक मजदूर से एक सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लंघन संज्ञान में नहीं आया।
			II–यदि 48 घण्टे से अधिक कार्य कराया जाता है, तो निर्धारित मजदूरी से दुगुनी मजदूरी मिलनी चाहिए।	उल्लंघन का प्रकरण संज्ञान में न आने के कारण दुगुनी मजदूरी दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

			III–फैक्ट्रियों में विश्राम गृह की कोई सुविधा नहीं है। यदि श्रमिक रात्रि में काम करते हैं।	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–47 के अन्तर्गत कारखानों का निरीक्षण किया गया जिसमें एक कारखाने में विश्राम गृह की सुविधा का उल्लंघन पाया गया और सम्बन्धित कारखानेदार को निरीक्षण के समय ही आवश्यक निर्देश दिये गये जिसका परिपालन कारखानेदार द्वारा किया जा चुका है।
			IV–श्रमिकों को सस्ती दरों पर कैंटीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–46 के अन्तर्गत कारखानों का निरीक्षण किया गया जिसमें एक कारखाने में सस्ती दरों पर कैंटीन की सुविधा का उल्लंघन पाया गया और सम्बन्धित कारखानेदार को निरीक्षण के समय ही आवश्यक निर्देश दिये गये थे, जिसका परिपालन कारखानेदार द्वारा किया जा चुका है।
			V–श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध नहीं है।	कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत किये गये निरीक्षण के समय 20 कारखानों में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का

				उल्लंघन पाया गया जिनमें 15 कारखानों के प्रबन्धाकों द्वारा अनुपालन कर लिया गया हैं, तथा 5 कारखानों में अनुपालन की कार्यवाही की जा रही है।
		5.	फैक्ट्री मालिक सामाजिक सुरक्षा कानून का पालन नहीं कर रहे हैं।	जनपद हरिद्वार में निरीक्षण टीमों द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कुल 163 निरीक्षण किये गये, जिनमें पाये गये उल्लंघनों कुल 53 प्रतिष्ठानों पर विभिन्न अधिनियमों के तहत विधिक् कार्यवाही की गयी।
		6.	जिले में तैनात श्रम अधिकारी फैक्ट्री मालिकों से मिलकर श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं।	यह कथन सत्य नहीं है। कारखानों का निरीक्षण सामान्य एवं निरीक्षण दलों द्वारा नियमित रूप से किया जाता हैं। श्रमिकों के शोषण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्रों पर तत्काल जांच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता		प्रश्न नहीं उठता	

माननीय सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न–02 का पूर्व में दिये गये त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए मेरे निजी कार्यालय में तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारियों को सचेत कर दिया गया है एवं भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो इस हेतु भी मौखिक रूप से कठोर चेतावनी दी जा चुकी है]

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 की बैठक में दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

दिसम्बर, 2008

16 मंगलवार 1– विधायी कार्य

(1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(3) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

2– वित्तीय वर्ष (2008–09) के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण। (3.00 बजे)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह जो उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 संशोधन विधेयक सम्मानित सदन के समक्ष रखा गया है। यह एकमात्र परिवर्तन इसमें चाह रहे हैं। यह परिवर्तन चाहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 के माध्यम से जितने भी अनधिकृत निर्माण कार्य हैं। उनको सीलबन्द किये जाने की शक्ति न हो पाने के कारण उनको रोकने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और जिसके कारण विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत सुनियोजित विकास की परिकल्पना साकार करने में और भवनों के उपविधियों को प्रभावी रूप से लागू करने में अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसके लिए श्रीमन, इस संशोधन विधेयक को लाया जाना अपरिहार्य हो गया था। इस विधेयक के माध्यम से हमने जो मूल अधिनियम की धारा–26 है उस धारा–26 के साथ एक धारा "क" भी अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव इस विधेयक के माध्यम से रखा है। इसमें जो प्रावधान किये गये हैं उन प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष या उनके द्वारा निमित्त सशक्त किसी अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि धारा–25 और 26 के अधीन किसी विकास क्षेत्र के किसी अनधिकृत अथवा अवैध विकास को हटाने या रोकने का आदेश देने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी समय ऐसे अनधिकृत और अवैध विकास को सीलबन्द करने का निदेश देते हुए कोई आदेश दे सकेगा और इसके माध्यम से उसको सीलबन्द करना तथा उस निमित्त सशक्त अधिकारी ऐसे विकास को हटाने अथवा रोकने और सीलबन्द हटाने का आदेश भी दे सकता है। यह छोटा सा संशोधन इसमें किया है और इसके आधार पर इसके विरूद्ध अपील करने की व्यवस्था भी इस उपधारा में की गई है। जिसके आधार पर उपधारा–1 और उपधारा–2 के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित उस आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त को अपील की जा सकेगी और आयुक्त अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे यह निश्चित उनका होगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा। यह व्यवस्था इस छोटे से संशोधन विधेयक में की गई है। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि नैनीताल, गंगोत्री आदि संवेदनशील इलाकों में जो निरन्तर और अनियंत्रित निर्माण कार्य हो रहे हैं और इन निर्माण कार्यों को सुनियोजित करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम में धारा–26 के साथ यह उपधारा जोड़ी जाए, इसके लिए यह विचार करने हेतु मैंने यह प्रस्ताव किया है और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

अन्य कोई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहें तो रखें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के द्वारा जो विधेयक लाया जा रहा है इसमें अपील का अधिकार जो आयुक्त को दिया गया है, इसमें शब्दावली यह है कि माननीय आयुक्त को अपील स्वीकार अथवा अस्वीकर करने का अधिकार है। शब्दावली स्वीकार और अस्वीकार में यह होता है कि अगर यह स्वीकार करेंगे तो सुनेंगे और यदि अस्वीकार करेंगे तो नहीं सुनेंगे। इस शब्दावली की जगह 'निर्णीत करना' आना चाहिए क्योंकि इसको निर्णीत करना है तो शब्दावली में 'निर्णीत' आना चाहिए बल्कि स्वीकार, अस्वीकार की जगह इसका परिवर्तन होना चाहिए, मेरी राय में।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसमें जो माननीय सदस्य ने आपत्ति की है। मैं पुनः इस लाईन को पढ़ देता हूँ। उस आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आदेश के विरूद्ध आयुक्त को अपील कर सकेगा। आयुक्त अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् या तो अपील को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा। मान्यवर, विनिश्चिय आ गया तो निर्णय तो उनका अन्तिम होगा यह आ गया है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008

विधेयक संख्या...........वर्ष 2008

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 का उत्तराखण्ड राज्य के लिए अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

<u>विधेयक</u>

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) अधिनियम, 2008 है। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा–26(क) अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :– — धारा–26 के उपरान्त एक नई धारा का अन्तः स्थापन

26(क) (एक) यथास्थिति अध्यक्ष या उनके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि धारा–25 और 26 के अधीन किसी विकास क्षेत्र में किसी अनधिकृत अथवा अवैध विकास को हटाने या रोकने का आदेश देने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी समय ऐसे अनधिकृत अथवा अवैध विकास को, सील बन्द करने के निर्देश देते हुए कोई आदेश दे सकेगा। — अनाधिकृत अथवा अवैध विकास को सील बन्द करने की शक्ति

(दो) जहाँ कोई अनधिकृत अथवा अवैध विकास सील बन्द कर दिया जाय, तो यथास्थिति, अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी ऐसे विकास को हटाने अथवा रोकने के लिए सील को हटाने का आदेश दे सकता है।

(तीन) अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश के सिवाय, कोई व्यक्ति ऐसी सील को नहीं हटायेगा।

(चार) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश के व्यथित उस आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर आदेश के विरूद्ध आयुक्त को अपील कर सकेगा और आयुक्त अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् या तो अपील को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाए।

श्रीमन्, ये संशोधन विधेयक जो उत्तराखण्ड "उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम" में एक छोटे से संशोधन के आधार पर ये प्रस्तावित है श्रीमन्, चूँकि वर्ष 2008–09 में जो बजट अनुमानों को इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था श्रीमन्, उन बजट अनुमानों में इस विषय को कहने की घोषणा की गयी थी। जो शहरी क्षेत्र में अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण होता है उस अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण में जो अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी दो प्रतिशत की जाती थी, उस ड्यूटी को एक प्रतिशत किये जाने की घोषणा की गयी थी। इसके अनुपालन के लिए ये विधेयक, जो मूल विधेयक की धारा–39 की उपधारा–1 के परन्तुक में संशोधन किये जाने से सम्बन्धित था को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया है। श्रीमन्, वर्तमान में जो प्रचलित नियम है वो धारा 39 (1) जिसमें किसी विकास क्षेत्र में स्थित किसी अचल सम्पत्ति की दशा में, अचल सम्पत्ति के किसी अन्तरण अभिलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा अधिरोपित किये जाने वाली धनराशि अथवा मूल्य जो इस अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में विचारित किया जाय कि एक प्रतिशत अधिक होगा। परन्तु श्रीमन्, राज्य सरकार

गजट में अधिसूचना द्वारा स्टाम्प शुल्क में वृद्धि के उपर्युक्त प्रतिशत को पाँच प्रतिशत तक कर सकेगी। ये प्रचलित नियम था श्रीमन्, और इस प्रचलित नियम को आंशिक संशोधन करते हुए विद्यमान परन्तुक के स्थान पर नये परन्तुक को अन्तः स्थापन किया गया है। जिसके आधार पर परन्तुक राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा स्टाम्प शुल्क में वृद्धि से उपर्युक्त प्रतिशत को घटा तथा बढ़ा सकेगी अर्थात् जो वर्ष 2008–09 में घोषणा की गयी थी उसके अनुरूप श्रीमन्, ये व्यवस्था की गयी है और इस व्यवस्था के माध्यम से लगभग 35 करोड़ रुपये की राजस्व की क्षति होगी। लेकिन चूँकि इस धनराशि का सीधा प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा। इसलिए इस विधेयक को सम्मानित सदन के विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इसे पारण करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य ने विचार नहीं रखे।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008

विधेयक संख्या...........वर्ष 2008

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 का उत्तराखण्ड राज्य के लिए अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा–39 की उपधारा (1) के परन्तुक के स्थान पर नये परन्तुक का अन्तः स्थापन

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–39 उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :–

> "परन्तु राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा स्टाम्प शुल्क में वृद्धि के उपर्युक्त प्रतिशत को घटा अथवा बढ़ा सकेगी।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, चूँकि उत्तराखण्ड राज्य में अनेकों ऐसे विभाग हैं जिन विभागों के माध्यम से संचालित जो विकास कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को, विभिन्न परियोजनाओं को उचित गति मिल सके और उनका लाभ आम आदमी तक पहुँच सके इस लक्ष्य को ले करके राज्य में कतिपय निकायों का गठन किया जाय, ऐसी आवश्यकता महसूस की जा रही थी और इन निकायों का गठन कर अनुभवी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता को इन निकायों का यथेष्ट लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से इन निकायों को लाभ की परिधि से बाहर निकाले जाने का प्रस्ताव इस विधेयक के माध्यम से, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनमें पूर्व में 26 विभाग लाभ के पद से बाहर निकाले गये थे और इस प्रस्ताव के माध्यम से उन 26 विभागों को मिलाकर कुल 54 विभागों को लाभ के पद से बाहर करने का प्रस्ताव इस विधेयक में किया गया है। चूँकि यह अपरिहार्य है, आवश्यक है कि विकास कार्यों को आम जन तक पहुँचाया जा सके, इसके लिए अनुभवी जनप्रतिनिधियों के अनुभव का लाभ मिल सके और उनके माध्यम से विकास को गति मिल सके और इन निकायों को सही तरीके से कार्य करने का उचित मार्ग दर्शन प्राप्त हो सके, इसके लिए यह विधेयक लाना अपरिहार्य और आवश्यक था। इसलिए आपके माध्यम से सम्मानित सदन के विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल(अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) (संशोधन) विधेयक, 2008

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या.......वर्ष 2008)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (संशोधन) अधिनियम, है।

(2) यह 19 नवम्बर, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा–3 में संशोधन 2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा–3 के खण्ड (म) में पूर्व निकायों के अतिरिक्त निम्नलिखित निकाय अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"(27) सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद्।

(28) सम्पूर्ण रोजगार गारन्टी योजना अनुश्रवण परिषद्।

(29) समेकित बाल विकास परियोजना अनुश्रवण परिषद्।

(30) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अनुश्रवण एवं सलाहकार परिषद्।

(31) राज्य बागवानी बोर्ड।

(32) जलागम प्रबन्ध परियोजनायें अनुश्रवण विकास परिषद्।

(33) उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद्।

(34) उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास परिषद्।

(35) अनुसूचित जाति/जनजाति विकास परिषद्।

(36) जनजाति क्षेत्र विकास परिषद्।

(37) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद्।

(38) राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सलाहकार एवं अनुश्रवण परिषद्।

(39) राज्य ऊर्जा सलाहकार परिषद्।

(40) राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद्।

(41) आवास एवं विकास परिषद्।

(42) शहरी विकास परियोजना अनुश्रवण परिषद्।

(43) सर्व शिक्षा अभियान विकास एवं अनुश्रवण परिषद्।

(44) ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें अनुश्रवण परिषद्।

(45) सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद्।

(46) राज्य स्तरीय लघु सिंचाई अनुश्रवण परिषद् (गढ़वाल मण्डल)

(47) राज्य स्तरीय लघु सिंचाई अनुश्रवण परिषद् (कुमाऊँ मण्डल)

(48) पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति।

(49) समाज कल्याण योजनायें अनुश्रवण समिति।

(50) हथकरघा एवं हस्त शिल्प विकास परिषद्।

(51) राज्य जैविक उत्पाद परिषद्।

(52) उत्तराखण्ड लाईव स्टाक डेवलपमेंट बोर्ड।

(53) वन एवं पर्यावरण सलाहकार एवं अनुश्रवण परिषद्।

(54) राज्य फिल्म सलाहकार परिषद्।"

निरसन 3. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 03, वर्ष 2008) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अब हम उठते हैं अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 03.00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 2008–09 का (अनुपूरक) अनुदानों का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2008–09 का (अनुपूरक) अनुदान प्रस्तुत करता हूँ।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, जिस विषय पर सरकार की ओर से यह संकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है, मैंने अभी कार्यसूची में देखा, इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए मेरे द्वारा पूर्व में ही संकल्प भेजा गया था और वह असरकारी दिवस के लिए स्वीकृत भी हुआ था और

प्रसन्नता की बात है कि सरकार आज इस विषय पर संकल्प प्रस्तुत कर रही है। मान्यवर, मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि मेरे संकल्प को भी इसके साथ सम्बद्ध कर दें क्योंकि आज जब संकल्प आ जायेगा तो इसके बाद इस पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं रहेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जब सरकारी संकल्प प्रस्तुत कर लूँगा और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से चर्चा होगी तो माननीय सदस्यगण इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, अपने विचार इसमें व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी संकल्प और असरकारी संकल्प को एक साथ क्लब करने का कोई प्राविधान नियमावली में नहीं है। सरकारी संकल्प जब प्रस्तुत हो जाता है तो इसमें सामान्य जितने भी असरकारी सदस्य हैं या माननीय सदस्यगण हैं वो इस चर्चा में प्रतिभाग कर सकते हैं, ताकि उस विषय की गम्भीरता बने और अनेकों पक्षों का समावेश किया जा सके।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पुष्पेश जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को यथाशीघ्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश कर दी जाये।"

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि केन्द्र सरकार के माध्यम से मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाता है और इसका अनुरोध करते हुए 26 मई, 2008 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी को इसके अनुरूप एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया था उस प्रस्ताव में यह उल्लिखित किया गया कि राज्य के अन्दर 3 विश्वविद्यालय जो वर्तमान में कार्यरत् हैं और राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति, सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए और राज्य के उपलब्ध मानव संसाधन को उत्कृष्ट उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके, इसकी अपेक्षा के साथ यह अनुरोध किया गया कि राज्य के तीनों सरकारी विश्वविद्यालय–गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय तथा दून विश्वविद्यालय इन तीनों विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। यह अनुरोध मानव संसाधन मंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह जी से किया था और इसके पश्चात् केन्द्र सरकार ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा

भारत सरकार ने हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय को प्रदान किया। इस निर्णय के उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः एक पत्र 6 अक्टूबर, 2008 को प्रेषित किया, जिसमें पुनः यह अनुरोध किया कि यदि 3 विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार मंजूर करने की स्थिति में नहीं है तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, दोनों कमीश्नरी क्षेत्रों को देखते हुए कम से कम 2 विश्वविद्यालय यहाँ स्वीकृत करें, जिसमें से एक विश्वविद्यालय उनके माध्यम से स्वीकृत किया जा चुका है और कुमाऊँ विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाय। यह अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को और माननीय मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी को 06 अक्टूबर, 2008 को किया जा चुका है, लेकिन श्रीमन्, अद्यतन स्थिति यह है कि अभी तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कुमाऊँ विश्वविद्यालय को नहीं दिया जा सका है। इसलिए आज इस सम्मानित सदन के समक्ष इस संकल्प के माध्यम से हम उत्तराखण्ड की जनता और उत्तराखण्ड की वर्तमान लोकप्रिय सरकार की इस प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए इस संकल्प के माध्यम से हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि उत्तराखण्ड की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए, उत्तराखण्ड के अन्दर एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय की अनुमति प्रदान करें और कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाय। यह इस संकल्प की मूल भावना है और इस भावना के आधार पर हम उत्तराखण्ड की जनता की तरफ से केन्द्र सरकार से यह अनुरोध इस सदन के माध्यम से करना चाहते हैं।

परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि आपने इस सरकारी संकल्प पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं भी अपने आप को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बातों से सम्बद्ध करते हुए, इसमें कुछ बात इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि यह विषय व्यक्तिगत रूप से मेरे जनपद से सम्बन्धित है। पूरा कुमाऊँ इससे लाभान्वित होगा, चूँकि इसका आंदोलन नैनीताल में हो रहा है और वह क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहा है, इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि जो संकल्प आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ और यह बहुत ही तार्किक और सटीक बात है कि ऐसा होना ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बार इसमें पहल की है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय को व्यक्तिगत रूप से भी कहा है और पत्र के माध्यम से भी आग्रह किया है कि यहाँ पर कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाना चाहिए और बात न्यायसंगत भी लगती है, चूँकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं। यदि हम प्रारम्भिक इतिहास को देखें तो मैं समझता हूँ कि जब यहाँ यूनिवर्सिटी

खोलने की बात चली थी तो केवल एक यूनिवर्सिटी की बात हुई थी कि उत्तराखण्ड को, यानि कि उस समय जो भी इस क्षेत्र को कहते हों। दोनों मण्डलों को मिलाकर एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही थी। मान्यवर, तत्कालीन वरिष्ठ नेता [XXX] जो उस समय केन्द्र में और प्रदेश में, सरकारों में थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उत्तराखण्ड एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझ रहा है और यदि एक स्थान पर हम यूनिवर्सिटी खोल देंगे तो दूसरे स्थान को बहुत दूर पड़ेगा। मान्यवर, इस बात को तत्कालीन सरकार ने समझा और एक के स्थान पर दो यूनिवर्सिटियां खोली गयीं, एक गढ़वाल यूनिवर्सिटी और एक कुमाऊँ यूनिवर्सिटी। इसके पीछे केवल कारण यही था कि दोनों मण्डलों की दूरियां अधिक हैं और ऐसी विषम परिस्थितियां हैं कि यहाँ पर दो यूनिवर्सिटी के बिना काम चल ही नहीं सकता। वर्तमान में केन्द्र ने कहा है कि हम हर राज्य को कम से कम एक यूनिवर्सिटी देंगे। मान्यवर, बहुत छोटे राज्यों को भी केन्द्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है और दो–तीन राज्य ऐसे मेरे संज्ञान में आये हैं, जिनको दो–दो, तीन–तीन केन्द्रीय यूनिवर्सिटी भी दी हैं। मान्यवर, उत्तराखण्ड अपने आप में छोटा राज्य तो है, लेकिन इससे भी छोटे राज्यों को दिया गया है। मान्यवर, उत्तराखण्ड अपने आप में एक छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कुमाऊँ विश्वविद्यालय को दिया जाना न्यायसंगत है, तर्कपूर्ण बात है। मैं इस बात पर बल देते हुए माननीय प्रकाश पन्त जी, जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूँ कि उत्तराखण्ड के नवयुवकों की तरक्की के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए केन्द्र सरकार से जो आग्रह माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी ने किया है, उस पर बल देते हुए मान्यवर, उस पर ताकत देते हुए कि वे उस बात को समझें और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कुमाऊँ यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दें, ऐसा मेरा आग्रह है। यह मांग बहुत ही उचित है, न्याय संगत है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप है। कुमाऊँ के युवाओं का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि गढ़वाल में मेरे ख्याल से हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय को यह दर्जा मिल चुका है और कुमाऊँ इससे वंचित रह गया है। मैं यहाँ पर कुमाऊँ और गढ़वाल की बात नहीं रख रहा हूँ, लेकिन चूँकि यह बहुत दूर हैं, वहाँ के बच्चों का यहाँ पर आकर पढ़ना, उन सुविधाओं को लेना बहुत कठिन होगा। इसलिए मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दें। धन्यवाद।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने का संकल्प सरकार की ओर से आज यहाँ पर आया है। जैसा कि मैंने इससे

नोटः– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पहले भी कहा कि मेरे द्वारा भी इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए एक संकल्प इसी आशय के साथ दिया गया था। मैं सर्वप्रथम केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उसने गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया है। मान्यवर, कुमाऊँ और गढ़वाल विश्वविद्यालय को लेकर 1972 में जो आन्दोलन हुआ था, वह यहाँ के लोगों की सोच और समझ-बूझ का परिचायक है कि उस दौर में भी लोग शिक्षा के प्रति कितने जागरूक थे जबकि हमारे पास वे तमाम साधन नहीं है, संसाधन नहीं हैं, विषम भौगोलिक परिस्थितियां थीं। आज भी वे तमाम बातें वैसी ही हैं, उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमारे पास रोजगार के बहुत बड़े साधन नहीं हैं। आज राज्य बने आठ वर्ष हो चुके हैं, आज भी उत्तराखण्ड का जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, जो एक गरीब तबका है, उसके पास अपनी आय का और अपने भविष्य को बनाने का एक मात्र साधन शिक्षा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ तीन सरकारी विश्वविद्यालय हैं और तीनों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री जी से अनुरोध किया गया। उसके बाद एक विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आज पूरे उत्तराखण्ड में आन्दोलन चल रहा है। न केवल कुमाऊँ में बल्कि पूरे उत्तराखण्ड के विभिन्न हिस्सों के लोग यह चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे एक यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, उसी तरह हमारी दूसरी और तीसरी यूनिवर्सिटी को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में 9 सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, वहाँ के लोगों की जागरूकता के हिसाब से। मान्यवर, आज हमारे यहाँ से सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव जा रहा है, निश्चित रूप से कुमाऊँ विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, उसके बाद दून यूनिवर्सिटी को भी मिले, नई यूनिवर्सिटीज की स्थापना हो, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय बंशीधर भगत जी की बातों से अपने को सम्बद्ध करते हुए कुमाऊँ यूनिवर्सिटी को भी सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिये जाने का प्रबल समर्थन करता हूँ।

श्री खड़क सिंह बोहरा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और चीज पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश की दो-दो देशों से सीमाएं मिली हुई हैं। पर्वतीय राज्य है, नया राज्य है और यहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इससे पूर्व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी और माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी इन तमाम बातों को रख चुके हैं मगर यह सीमावर्ती राज्य है और इसकी दो देशों से सीमाएं मिलती हैं इसलिए यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थिति, इस नवोदित

राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पर दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का होना नितान्त आवश्यक है। मुझसे पूर्व वक्ता माननीय पुष्पेश जी ने कहा कि पूरे उत्तराखण्ड की जनता कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की मांग कर रही है। न केवल कुमाऊँ की जनता, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता यह मांग कर रही है। गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, हम उसके लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और साथ में यह अनुरोध भी करते हैं कि यहाँ की विषम भौगोलिक स्थिति और सीमावर्ती राज्य होने के नाते कुमाऊँ विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाय, धन्यवाद।

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने बाबत माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो सरकारी संकल्प प्रस्तुत हुआ, के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय, जैसा कि मेरे पूर्व सभी वक्ता साथियों ने अवगत कराया कि जब से गढ़वाल यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, तब से पूरे कुमाऊँ मण्डल में प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाओं में आन्दोलन चल रहा है। इस आन्दोलन की परिणिति आज यह हो रही है कि हमारे विश्वविद्यालय के सभी डिग्री कालेजों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। एक तरफ हमारे कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षक और छात्र नेता आन्दोलन कर रहे हैं। मान्यवर, वास्तविकता यह है कि भारत सरकार ने एक तरफ गढ़वाल यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद भी करते हैं और दूसरी तरफ मुझे आक्रोश भी है कि भारत सरकार ने कुमाऊँ के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जब कि कुमाऊँ, चाहे वह पिथौरागढ़ हो, हल्द्वानी हो, नैनीताल हो या बागेश्वर हो, यह सब सुदूर पर्वतीय क्षेत्र हैं। जहाँ आज हमारे नौजवान बेरोजगारों को मूलभूत समस्याओं के लिए जूझना पड़ता है, कहीं नये विषय खोलने की आवश्यकता होती है, कहीं नई–नई भर्तियां करने की आवश्यकता होती है। परन्तु केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा न मिलने से वहाँ पर आक्रोश हो रहा है। मुझे खुद ज्ञान है कि मेरे जनपद में दो–दो ऐसे डिग्री कालेज खोल दिये गये, जहाँ कामर्स का एक भी स्कूल नहीं है, लेकिन वहाँ पर बी0कॉम पाठ्यक्रम खोल दिया गया। कोई पद सृजित नहीं किये हैं, जब कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में गरूड़ में डिग्री कालेज खोल दिया, लेकिन कोई विषय सृजित नहीं किया। यदि केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाता तो यू0जी0सी0 के मानकों में हमारे उत्तराखण्ड में और कुमाऊँ में भी कई लोगों को इसका लाभ मिलता है। मैं इस सरकारी संकल्प का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ और सदन से निवेदन करता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से पारित करके भारत सरकार को भेजने की कृपा करें। ताकि कुमाऊँ विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल सके, धन्यवाद।

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सरकार द्वारा प्रस्तुत संकल्प 'कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने हेतु भारत सरकार से आग्रह किये जाने' पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत सारी बातें यहाँ पर आ गई हैं, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, खासतौर पर हमारे माननीय वन मंत्री जी ने कहा कि जब उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय का आन्दोलन चल रहा था तो [XXX] शायद इसमें कुछ हस्तक्षेप करके विश्वविद्यालय बनाने में कुछ योगदान दिया। मैं तो स्वयं उस आन्दोलन में था, [XXX] मैं इसलिए बार–बार हाथ उठा रहा था, इस पर बोलने के लिये मान्यवर, मैं आन्दोलन की बात कर रहा हूँ। जो हकीकत है उसमें हमको जो हम इस तरह की बात कर रहे हैं, ये रिकार्ड में आ रहा है। मैं इसको दूर करना चाहता हूँ। रामनगर में हमारी बैठक हुई और ये जब हालात हो गये कि इधर [XXX] अल्मोड़ा में अपनी गिरफ्तारी करा करके यह कह रहे थे कि ये कुमाऊँ, अल्मोड़ा में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, उधर [XXX] से वो कर रहे थे। तब ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यूनिवर्सिटी मांगने के बजाय आपस की लड़ाई में उलझ गये। वहाँ पर तब तमाम लोग इकट्ठा थे, बी0डी0 सेमवाल थे, तमाम लोग थे और वहाँ पर यह तय हुआ कि यूनिवर्सिटी जब फैजाबाद में लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर, एक यूनिवर्सिटी की जो उस समय घोषणा हुई थी, वो बन सकती है, तब उत्तराखण्ड में दो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती हैं। पहली बार वहाँ पर यह रेजोल्यूशन पास हुआ और तब दो यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई हुई और तभी हमको सफलता मिली। मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत संकल्प से अपने को सम्बद्ध करते हुए माननीय प्रकाश पन्त जी से, माननीय बंशीधर भगत जी से और अन्य सम्मानित साथियों ने जो कहा, मैं उससे अपने आप को जोड़ रहा हूँ। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो भौगोलिक बात हो रही है वही नहीं है, ऐतिहासिक परिदृश्य जो हमारा है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी, आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए एक अलग सी बात होगी। जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि कुमाऊँ, ये कुमाऊँ और गढ़वाल का सवाल नहीं है। ये सवाल है यूनिवर्सिटियां इस राज्य के अन्दर जिस तरह से चल रही हैं, अगर ये केन्द्र की यूनिवर्सिटियां होंगी, केन्द्र द्वारा अगर इनको मान्यता मिलेगी, केन्द्र द्वारा अगर विश्वविद्यालय स्थापित होंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा। गढ़वाल यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय यूनिवर्सिटी का जो दर्जा मिला, उसके लिए हम भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ–साथ ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करें और ये सदन में मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातों को तोड़–मरोड़ करके पेश किया जाता है, इससे हमें बचना चाहिए।

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में लाने का जो संकल्प लाया गया है, मैं उसका समर्थन करते हुए इसमें अपने विचार से इस सदन को अवगत कराना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय एक शिक्षा का केन्द्र होता है और शिक्षा आने वाली संतानों को दी जाती है, पीढ़ियों को दी जाती है। कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के लिए यह संकल्प, अभी–अभी हमारे साथियों के द्वारा ये कहा गया कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प लाया जाना आवश्यक था और है और इसका पूरा कुमाऊँ समर्थन करता है, लेकिन क्योंकि इस उत्तराखण्ड में तराई का क्षेत्र एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र है और जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक प्रदेश की आबादी इस तराई के मैदानी क्षेत्र में है। इस तराई क्षेत्र का एक मात्र विश्वविद्यालय जो पंतनगर विश्वविद्यालय के नाम से है। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, नई यूनिवर्सिटी खोलने की बात होगी, हम समर्थन करेंगे, लेकिन अगर पंतनगर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा की बात होगी तो उसका हम पूरा विरोध करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पुष्पेश जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, आज प्रदेश के 85 प्रतिशत लोगों को जो वहाँ पर आरक्षण मिलता है। केन्द्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा पंतनगर यूनिवर्सिटी को मिलने के बाद वो समाप्त हो जायेगा। नई यूनिवर्सिटी की बात होगी, हम समर्थन करेंगे, एक नहीं दस यूनिवर्सिटी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने चाहिए, लेकिन यदि पंतनगर यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात किसी भी स्तर पर होगी तो उसका हम विरोध करेंगे मान्यवर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पुष्पेश जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, 85 प्रतिशत नौजवानों को जो आरक्षण वहाँ पर मिलता है, वो समाप्त हो जायेगा। मान्यवर, आज चन्द लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए वहाँ पर आन्दोलन के लिए बैठे हुए हैं। कतई इसको हम लोग सहन नहीं करेंगे मान्यवर, नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात होगी तो उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया जायेगा।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भाव कुमाऊँ यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय....

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अपनी बात को जबर्दस्ती रख सकते हैं तो हम भी अपनी बात को रखना चाहेंगे और सदन में अवश्य रखेंगे, हमारी बात सुनी जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को दो शब्दों में कह दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सदन में एक सदस्य की कही हुई बात को दूसरा सदस्य काट देता है तो सदस्य के समय में कटौती कर दी जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि मैं दो शब्दों में अपनी बात को कहूँगा कि 50 प्रतिशत से अधिक आबादी मैदानी क्षेत्र में है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिये जाने की बात हो रही है, उस पर बात रखी जायेगी तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अगर प्रदेश को देखा जाय तो प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रदेश की यहाँ पर है, जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में बच्चे हैं इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें जहाँ खुशी है कि हमारी सरकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा दिलाये जाने का आज संकल्प ला रही है, मैं अपनी सरकार के सामने अपनी तरफ से एक निवेदन रखना चाहूँगा, जनता की आवाज को रखना चाहूँगा, तराई की आवाज को रखना चाहूँगा कि हमारी सरकार आने वाले समय में, भविष्य में पंतनगर विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा दिलाये जाने के लिए प्रस्ताव लाये। इसके लिए मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा।

*श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के लिए मैं राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा कुमाऊँ विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की माँग की गई। बिल्कुल सही बात है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की तर्ज पर कुमाऊँ में भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए। लेकिन महोदय, मैंने कल एक प्रश्न इसी के तहत उठाया था कि जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद, क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालय परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, तमाम तरह की आशंकायें वहाँ के कर्मचारियों में, शिक्षकों में, यहाँ तक कि छात्रों में भी आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार केन्द्र सरकार का जब यह एक्ट बनेगा तो उसमें यहाँ का नेतृत्व करे और इस बात को गम्भीरता से रखे। मैं गढ़वाल और कुमाऊँ को जोड़ते हुए किसी जातिवाद, धर्मवाद से हटते हुए उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में यह कहना चाहूँगा कि यह सौभाग्य की बात है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है और उसी तर्ज पर कुमाऊँ में भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए। लेकिन मैं आप सब माननीय सदस्यगणों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो समस्यायें अंशकालिक शिक्षकों की हैं, जो 20–20 साल से पढ़ाते आ रहे हैं और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद परिसरों में पी0जी0 की क्लासें और बी0एस0सी0 की क्लासें अलग–अलग जगह पर चलेंगी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि एक नेतृत्व यहाँ का जरूर हो जब केन्द्रीय विश्वविद्यालय का एक्ट बने ताकि शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों द्वारा जो आशंकायें व्यक्त की जा रही हैं, उनको हमारी सरकार दूर करने का कष्ट करेगी, और तमाम बातों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद सामने लाने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रकाश पन्त जी द्वारा प्रस्तुत सरकारी संकल्प का समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से केन्द्र सरकार को भी इसके लिए बधाई देता हूँ कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया और निश्चित रूप से जो कुमाऊँ का जो क्षेत्र है वहाँ पर तो शुरू से ही लोग आन्दोलित थे कि इस कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाय। निश्चित रूप से मैं भट्ट जी की बात का भी इतफाक रखता हूँ, क्योंकि हम सब लोग उस आन्दोलन में सम्मिलित हुए थे जब 1970–71 में कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के लिए आन्दोलन हुआ करता था और उस समय निश्चित रूप से [XXX] मुझे आज भी याद आता है [XXX]

नोट– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, जो उस आन्दोलन का नेतृत्व उस समय कर रहे थे, उनको कितने–कितने प्रलोभन दिये गये, कितने–कितने ढंग से आन्दोलन को दबाया गया।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य अब इस सदन के सदस्य नहीं हैं, यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, कृपया उनके नाम का उल्लेख न करें। उनका नाम निकाल दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, तो आज मैं सर्वप्रथम अपनी सरकार को बधाई देता हूँ। आज उस आन्दोलन की ही परिणति से ही गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय बना। मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया गया कुमाऊँ विश्वविद्यालय को बनाने के लिए, लेकिन मान्यवर, इसको और आगे तक ले जायेंगे। आज तराई में पंतनगर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की माँग करने लग जायेंगे। तराई को हम कुमाऊँ से हटकर नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि तराई भी कुमाऊँ का अभिन्न अंग है। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आज पंतनगर विश्वविद्यालय में इस पूरे उत्तराखण्ड के सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जो बच्चे वैटनरी में निकले हुए हैं। अगर इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया तो जो 80–85 प्रतिशत हम लोगों का जो आरक्षण है, वह आरक्षण रूक जायेगा और हमारे यहाँ के बच्चे पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रवेश तक नहीं ले पायेंगे। मैं तो खुद तराई में रहता हूँ। मैं लालकुँआ, हल्द्वानी का रहने वाला हूँ जो तराई का एक अभिन्न अंग है और यह भी नहीं कि पंतनगर विश्वविद्यालय में केवल पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे साधन की कमी होने के कारण वहाँ बहुत कम पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन वहाँ अधिकांश तराई क्षेत्र के सम्पन्न घरों के बच्चे भी हैं उनका भी अहित होगा। वहाँ की जनता की कोई बड़ी माँग इसको करने के लिए नहीं है। मेरा तो निवेदन है कि अगर हम अन्य यूनिवर्सिटी को भी सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिये जाने की माँग करेंगे तो कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय दर्जा देने के लिए माँग में भी कहीं न कहीं कमी आयेगी। मैं इस सदन से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की माँग में बल दें और मैं भी स्वयं इस संकल्प पर बल देते हुए इसका समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अभी चर्चा में माननीय [XXX] का नाम और [XXX] का नाम आया था क्योंकि जो माननीय सदस्य इस सदन में मौजूद नहीं हैं या आज दिवंगत हैं उनका भी संघर्ष और योगदान उत्तराखण्ड के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके योगदान को, उनकी सेवाओं को हम भुला नहीं सकते हैं। वे आज मौजूद नहीं तो उनकी अनुपस्थिति में उनके

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नाम का यहाँ आलोचनात्मक रूप में उल्लेख किया जाए तो यह उचित नहीं है। मैं चाहूँगा कि उनका नाम इस सन्दर्भ में आया है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को यथाशीघ्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(मेजों की थपथपाहट)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री यशपाल बेनाम तथा श्री ओम गोपाल रावत की कुल 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इनमें से माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना जो विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण में वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त भी 14 सड़कों का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए, श्री पुष्पेश त्रिपाठी की सूचना जो उत्तराखण्ड में विश्व बैंक के तहत दो जिलों को विश्व बैंक परियोजना से हटकर अन्य जिलों की भांति सामान्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लिए जाने के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए तथा श्री यशपाल बेनाम की सूचना जो मण्डल मुख्यालय पौड़ी से सटी गगवाडस्यूं घाटी में झील निर्माण के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 03 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून
दिनांक : 16 दिसम्बर, 2008

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 04 विधान सभा / 101–01–07–2010–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।